न्यायालयः–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , सरदारशहर, जिला–चूरू।

पीठासीन अधिकारी	:	नवदीप, आर.जे.एस.
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	:	1473/2019
सी.आई.एस. संख्या	:	828/2023
सी.एन.आर. संख्या	:	RJCH130018112023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	17/2019
पुलिस थाना	:	कोतवाली, चूरू

(10 वर्ष पुराना प्रकरण)

राजस्थान राज्य

ब ना म

हरलाल सिंह पुत्र मोहनलाल, उम्र 57 साल, निवासी खासोली, पुलिस थाना सदर, चूरू, हाल सैनिक बस्ती चूरू, पुलिस थाना कोतवाली, जिला चूरू।

––अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 120बी, 420, 467, 468, 471, 193 भारतीय दंड संहिता, 1860

प्रतिनिधित्वः–

1. श्री विपुल शर्मा, विशेष लोक अभियोजक अधिकारी वास्ते राज्य।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत व श्री दामोदर मटोलिया, विद्वान अधिवक्तागण वास्ते अभियुक्त।
3. श्री सुरेन्द्र जाखड़, विद्वान अधिवक्ता वास्ते परिवादी।

Date of Offence	12.01.2025
Date of FIR	25.01.2019
Date of Charesheet	15.07.2019
Date of Cognizance	22.11.2019
Date of Framing Charges	19.05.2025
Date of Commencement evidence	01.08.2025
Statement u/s 313 Cr.P.C.Recorded on	19.03.2026
Date of Complition of Arguements	06.04.2026
Date of Judgment	10.04.2026

–: निर्णय :– दिनांकः– 10 अप्रेल, 2026

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, चूरू के आदेश क्रमांक 1(जी)(1)स्था./2023/223 दिनांकित 20.09.2023 की अनुपालना में उक्त प्रकरण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू से अंतरित होकर दिनांक 24.11.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि मुस्तगिस प्रार्थी गाँव ढाढर तहसील चूरू का निवासी है व एक जागरूक मतदाता है तथा चुनिन्दा जन प्रतिनिधि भी रहा है। गाँव ढाढर जिला परिषद चूरू के अधिकार क्षेत्र का गाँव है। मुलजिम जिला परिषद चूरू का वर्तमान जिला प्रमुख है। मुलजिम द्वारा जनवरी 2015 को जिला परिषद चूरू के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 से जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर जिला परिषद सदस्य निर्वाचन (जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) चूरू के समक्ष नोमिनेशन फार्म (नाम निर्देशन पत्र) पेश किया गया था। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2015 में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10 वीं उत्तीर्ण अनिवार्य कर दी गई थी। इसी क्रम में मुलजिम हरलाल सिंह ने अपने नोमिनेशन फार्म के साथ सांख्यकीय सूचना का फार्म भर कर पेश किया गया था जिसकी मद संख्या 9 शैक्षणिक योग्यत्ता में दसवीं पास, उत्तराखण्ड विघालयी शिक्षा परिषद उतराखण्ड वर्ष 2010 अंकित किया है साथ में उपबन्ध ॥ के अन्तर्गत एक शपथ पत्र पेश किया है जिसकी गद संख्या 5 में अपनी शैक्षणिक योग्यता उत्तराखण्ड विघालयी शिक्षा परिषद से वर्ष2010 में हाई स्कूल परीक्षा उर्तीण करना लिखा है। मूलजिम हरलाल सिंह ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण स्वरूप अपने नाम की अंक तालिका हाई स्कूल परीक्षा 2010 अनुक्रमांक 1494335 उतराखण्ड विघालयी शिक्षा परिषद विधालय एच. ए. एस. एस. स्कूल ऋषिकेश की व उतराखण्ड विघालयी शिक्षा परिषद हाई स्कूल परीक्षा 2010 उर्तीण करने का प्रमाण पत्र अपने स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित कर पेश किया है। मुलजिम हरलाल सिंह की शैक्षणिक योग्यता के बारे में प्रार्थी को शंका होने पर प्रार्थी मुस्तगिस द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मुलजिम हरलाल सिंह के द्वारा जनवरी 2015 में जिला परिषद चूरू के वार्ड संख्या 16 से सदस्य निर्वाचन हेतु भरे गये नाम निर्देशन पत्र व उसके साथ पेश शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, चूरू से माँगी गई यह दस्तावेजात (सूचना) प्राप्त होने पर मुलजिम के द्वारा नोमिनेशन फार्म के साथ पेश अंक तालिका हाई स्कूल परीक्षा 2010 अनुक्रमांक 1494335 व प्रमाण पत्र जो उत्तराखण्ड विधालयी शिक्षा परिषद हाई स्कूल परीक्षा 2010 के एच. ए. एस. एस. ऋषिकेश के बताये गये है के सत्यापन हेतु प्रार्थी मुस्तगिस द्वारा सूचना का

अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उत्तराखण्ड विधालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनिताल) से सूचना माँगी गई जिस पर अपर सचिव/लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्डः विधालयी परिषद रामनगर (नैनिताल) ने अपने पत्र दिनांकित 23–03–2015 व 04–04–2015 के जरिये लिखित में सूचित किया कि हाई स्कूल परीक्षा 2010 में अनुक्रमांक 1494335 किसी भी परीक्षार्थी को आंवटित नहीं किया गया है। जनपद देहरादून, पोडी तथा टिहरी गढ़वाल में होल ऐजेल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल ऋषिकेश नाम से कोई भी विघालय पंजीकृत नहीं है। अतः हाई स्कूल परीक्षा 2010 में अनुकमांक 1494335 का अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र जाली है। अपर सचिव/लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड विघालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनिताल) की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दी गर्द सूचना के अनुसार मुलजिम हरलाल सिंह के द्वारा जिला परिषद चूरू के वार्ड संख्या 16 के सदस्य के निर्वाचन हेतु दिनांक 12–01–2015 को पेश नाम निर्देशन पत्र (नोमिनेशन फार्म) के साथ पेश अंक तालिका अनुक्रमांक 1494335 होलिका ऐजल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल ऋषिकेश उत्तराखण्ड विघालयी शिक्षा परिषद हाई स्कूल परीक्षा 2010 व प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड शिक्षा परिषद हाई स्कूल परीक्षा 2010 फर्जी, जाली व कूट रचित दस्तावेजात है। मुलजिम हरलाल सिंह ने वर्ष 2008 में चूरू निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा का चुनाव लड़ा था उसमें अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ एक शपथ पत्र पेश किया था उसमें अपना नाम हरलाल सहारन पुत्र मोहनराम व उम्र 45 वर्ष लिखी है तथा उपर वर्णित जो अंक तालिका क्रमांक 1494335 उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद वर्ष 2010 में प्रमाण पत्र उत्तरखण्ड विघालयी शिक्षा परिषद 2010 में अपना नाम हरलाल सिंह पुत्र मोहनलाल व जन्म तिथि 06–05–69 (आयु 45 वर्ष) लिखी है। इससे यह प्रमाणित है कि उपर वर्णित अंक तालिका क्रमांक 1494335 व प्रमाण पत्र कूट रचित, जाली व फर्जी है।

मुलजिम हरलाल सिंह ने अन्य अज्ञात व्यक्तियों से मिलकर व साजकर साजिशाना तरीके से कम्प्यूटर से व अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणों की सहायता से किसी अन्य व्यक्ति की अंक तालिका व प्रमाण पत्र में से उसका नाम, माता–पिता का नाम, सन्, स्कूल का नाम आदि हटाकर अपना स्वयं का विवरण स्केन कर मिथ्या अंक तालिका व प्रमाण पत्र की कूट रचना की है व अपने दावे (शैक्षणिक योग्यता) का झूठा समर्थन किया है– मिथ्या दस्तावेजात को रचित करते हुए फर्जी हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं निष्पादित किया है। मिथ्या कूट रचित दस्तावेजात के आधार पर अवैध रूप से निर्वाचित होकर जिला प्रमुख बनकर सरकारी गाडी, आवास, पानी, बिजली का उपभोग किया है, सरकारी खजाने से वेतन भत्ते गैर कानूनी रूप से प्राप्त किये है, सरकारी तन्त्र का दुरूपयोग किया है। मुलजिम हरलाल सिंह ने अन्य व्यक्तियों के साथ

मिलकर छल के प्रयोजन से अंक तालिका व प्रमाण पत्र की कूट रचना करते हुए छल के प्रयोजन से उपयोग में लिए है। मुलजिम हरलाल सिंह के द्वारा यह जानते हुए की यह अंक तालिका व प्रमाण पत्र कूट रचित व फर्जी है को असली के रूप में कपट पूर्वक बेईमानी से उपयोग में लेते हुए जिला परिषद चूरू के वार्ड संख्या 16 के सदस्य के निर्वाचन हेतु पेश नाम निर्देशन पत्र (नॉमिनेशन फार्म) के साथ पेश किये है व आपराधिक कृत्य किया है। इस प्रकार से मुलजिम द्वारा 420, 467, 468, 471, 193, 120 बी के अपराध कारित किये गये है। मुलजिम द्वारा आपराधिक कृत्य किए जाने का प्रार्थी मुस्तगिस को प्रमाण सहित पता चलने पर प्रार्थी ने तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय, चूरू को लिखित में एवं मौखिक रूप से मुलजिम के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने का निवेदन किया गया मगर कोई कार्यवाही नहीं की गई तब प्रार्थी मुस्तगिस द्वारा उक्त हरलाल सिंह के फर्जी, जाली व कूट रचित अंक तालिका व प्रमाण पत्र के आधार पर शैक्षणिक रूप से गलत योग्य उम्मीदवार बनकर अवैध रूप से जिला परिषद चूरू के वार्ड संख्या 16 के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर मुलजिम के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मुख्यपीठ के समक्ष रिट पीटीशन पेश की व रीट याचिका में भी माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया कि गैर याचि (मुलजिम) का निर्वाचन रद्द करने के साथ–साथ उसके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा भी दर्ज करवाया जावे। रिट याचिका की बहस के दौरान प्रतिपक्ष (मुलजिम) की और से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में यह तर्क कई बार दिये गये कि हरलाल सिंह (मुलजिम) के द्वारा मिथ्या जाली दस्तावेजात की कूट रचना कर गलत रूप से चुनाव लड़ा है तो उसके विरुद्ध फोजदारी मुकदमा आप दर्ज क्यों नही करवा रहे हो ऐसी सूरत मे अब मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है।

उपर वर्णित परिस्थितियों व हालात में मुकदमा दर्ज करवाने में देरी हुई है। प्रार्थी मुस्तगिस द्वारा जान बूझकर देरी नहीं की गई है। मुलजिम का अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ षड्यन्त्र रचकर मिथ्या व जाली अंक तालिका व प्रमाण पत्र की कूट रचना कर जो आपराधिक कृत्य किया है। प्रार्थी मुस्तगिस द्वारा गुलजिम के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाने का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 15–12–2013 को थाना पुलिस कोतवाली, चूरू में पेश किया गया, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर एक प्रार्थना पत्र मुकदमा दर्ज करवाने हेतु दिनांक 05–01–2019 को लिखवाया जाकर दिनांक 07–01–2019 को ज़रिये रजिस्टर्ड डाक के पुलिस अधीक्षक महोदय, चूरू को भेजा गया, इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर यह ईस्तगासा गुलजिम के विरूद्ध श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया गया। मुलजिम के द्वारा फर्जी, जाली व कूट रचित दस्तावेजात अंक तालिका व प्रमाण पत्र का उपयोग यह जानते हुए कि यह फर्जी व जाली है का असली के रूप में थाना पुलिस कोतवाली, चूरू के क्षेत्र व आपके

अधिकार क्षेत्र में किया जाकर आपराधिक कृत्य किया है। इसलिए इस ईस्तगासा के प्रति श्रीमानजी को हर प्रकार से श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ईस्तगासा मुस्तगिस प्रार्थी अन्दर मियाद उचित कोर्ट फीस पर पेश है, आदि–आदि।

उक्त परिवाद आधार पर पुलिस थाना, कोतवाली, जिला चूरू में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 17/2019 दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त हरलाल सिंह के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 193, 120बी भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला चूरू में पेश किया गया, जिस पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया।

3. बहस सुनकर अभियुक्त हरलाल सिंह को धारा 120बी, 420, 467, 468, 471, 193 भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्त ने आरोप सुन व समझ कर आरोपित अपराध से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहान को परीक्षित करवाया गयाः–

क्र.सं.	साक्षी का नाम	साक्षी का क्रम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	चिमनाराम	पी.डब्ल्यू.–1	परिवादी
2.	अर्चना सिंह	पी.डब्ल्यू.–2	रिकोर्ड बाबत
3.	सुरेन्द्र सिंह	पी.डब्ल्यू.–3	जप्ती बाबत
4.	धर्मपाल सिंह	पी.डब्ल्यू.–4	जप्ती बाबत
5.	मुकेश शर्मा	पी.डब्ल्यू.–5	रिकोर्ड बाबत
6.	रामनारायण	पी.डब्ल्यू.–6	हालात तफ्तिशी बाबत
7.	गणेश कुमार	पी.डब्ल्यू.–7	हालात तफ्तिशी बाबत

5. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गयाः–

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज की संख्या
1.	इस्तगाशा	प्रदर्शपी–1
2.	शपथपत्र	प्रदर्शपी–2
3.	पत्र	प्रदर्शपी–3
4.	लिफाफा	प्रदर्शपी–4

5.	नाम निर्देशन का प्रारूप 4(क)	प्रदर्शपी–5
6.	मार्कशीट की प्रति	प्रदर्शपी–6
7.	मार्कशीट की प्रति	प्रदर्शपी–7
8.	मार्कशीट	प्रदर्शपी–8
9.	फर्द जप्ती	प्रदर्शपी–9
10.	फर्द गिरफ्तारी	प्रदर्शपी–10
11.	कुल 16 दस्तावेज शासन सचिव द्वारा पेश किये गये	प्रदर्शपी–11
12.	आरोप पत्र	प्रदर्शपी–12
13.	चाक एफआईआर	प्रदर्शपी–13
14.	लिखित में सूचना प्राप्त हुयी	प्रदर्शपी–14

6. बचाव पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गयाः–

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज की संख्या
15.	माननीय राज.उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 24.08.2020	प्रदर्शडी–1
16.	माननीय राज.उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 13.12.2017	प्रदर्शडी–2

7. अभियुक्त की परीक्षा अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत की गई। अभियुक्त ने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किए कि वह निर्दोष हैं, झूठा फंसाया गया है। परिवादी चिमनाराम ने पंचायत समिति का चुनाव मेरे खिलाफ लड़ा था, जिसे हारने के कारण राजनीतिक रंजिश रखते है। जिस कारण गलत तथ्यों के आधार पर झूठा मुकदमा किया है।

8. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सामग्री एवं अभियोजन पक्ष के गवाहान के कथनों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता परिवादी द्वारा लिखित बहस पेश की गयी। दौराने बहस अधिवक्ता परिवादी ने अपने परिवाद पत्र व अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों की

पुनरावृत्ति करते हुवे यह जाहिर किया कि अभियुक्त द्वारा वर्ष 2015 में अपनी 10वी की फर्जी अंकतालिका व प्रमाण पत्र का गलत रूप से उपयोग करते हुवे चुनाव लड़ा गया, जिसके संबंध में उसके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत उक्त दस्तावेज के संबंध में संबंधित विभाग से सूचना प्राप्त की जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त के द्वारा कूटरचित मार्कशीट व प्रमाण पत्र पेश कर नाम निर्देशन पत्र के साथ झूठी सूचना दी गयी थी तथा इस बाबत सूचना के अधिकार के तहत उक्त दोनों पत्रों के प्राप्त हो जाने के पश्चात उसके द्वारा नियमानुसार एफआईआर दर्ज करवायी गयी तथा इसके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 03 व 14 अभियोजन पक्ष के द्वारा पूर्ण रूप से साबित किये गये हैं। अनुसंधान अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर संपूर्ण अनुसंधान के बाबत स्पष्ट रूप से तथ्य रखे हैं। अतः अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध पूर्ण रूप से संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अधिकतम दंड से दंडित किया जाए। अधिवक्ता परिवादी ने अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा बहस पूर्ण करने के उपरांत जवाब बहस में यह जाहिर किया कि जहां तक बचाव पक्ष का यह तर्क है कि साक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त की गयी है व इस बाबत कोई ट्रेन के टिकिट अथवा मनीऑर्डर आदि पत्रावली पर पेश नहीं करने से यह साक्ष्य नहीं मानी जा सकती, तो यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि साक्ष्य किस प्रकार से एकत्रित की जाती है, साक्ष्य एकत्रित करने का माध्यम महत्वपूर्ण नहीं होता है। जहां तक बचाव पक्ष का यह तर्क है कि विभाग द्वारा उसी दिन सूचना नहीं दी जा सकती है, तो यह भी तर्क आधारहीन है क्योंकि जो सूचना विभाग के पास उपलब्ध थी, वह उसके द्वारा उसी दिन दे दी गयी थी व अन्य सूचना विभाग के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज बाद में दी गयी। केवल मात्र अन्य अभियुक्तों के बारे में जानकारी पुलिस को नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता कि अन्य कोई अभियुक्त कूटरचना के षड़यंत्र में शामिल नहीं रहा हो। एफआईआर को क्वेश करवाने के संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः बचाव पक्ष के द्वारा उठाये गये तर्क आधारहीन व सारहीन होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है। बहस के समर्थन में उसके द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये हैं, जो इस प्रकार से हैंः–

(i) 2023 3 ACR 2428, Andra Pratap Tiwari Vs. State of U.P.

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने जाहिर किया कि प्रकरण में अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध परिवादी के द्वारा राजनीतिक रंजिशवश सोच–समझकर अत्यधिक देरी से हस्तगत प्रकरण कानूनी राय लेकर पेश किया गया है व उक्त देरी के बाबत उसके द्वारा युक्तियुक्त कारण भी पत्रावली पर पेश नहीं किये गये हैं, जिन दस्तावेज की कूटरचना के बाबत परिवादी के द्वारा अभियुक्त पर

आरोप लगाये गये हैं। उक्त दस्तावेज की कूटरचना अभियुक्त के द्वारा ही की गयी हो, इसके संबंध में कोई भी स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, ना ही मूल दस्तावेज आदि अनुसंधान अधिकारी द्वारा जप्त किये गये हैं। प्रदर्श पी 03 जो परिवादी के द्वारा पेश किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिये परिवादी के द्वारा जो पोस्टल ऑर्डर व राशि आदि जमा करवायी गयी है, उसके बाबत कोई भी दस्तावेजात आदि प्रदर्शित नहीं करवाये गये हैं, जो प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उत्तराखण्ड शिक्षा विद्यालयी परिषद, रामनगर(नैनीताल) से सूचना प्राप्त करने के लिये एक प्रार्थना पत्र परिवादी के द्वारा भेजा गया था, परिवादी के द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र दौराने विचारण न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। प्रदर्श पी 03 पर किसी भी प्रकार की कोई मोहर आदि नहीं है व संबंधित कार्यालय के लेटरहैड पर जारी नहीं है। महत्वपूर्ण गवाह विनोद प्रसाद सिमल्टी आदि से अनुसंधान अधिकारी के द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। इस स्थिति में जहां गवाह स्वयं परीक्षित नहीं है केवल मात्र दस्तावेजात को प्रदर्शित किये जाने से दस्तावेज को साबित नहीं माना जा सकता। जो आधार परिवादी के द्वारा परिवाद में कूटरचना के बताये गये हैं। उन आधारों को परिवादी व अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से साबित करने में असफल रहे हैं, जो आरोप गलत रूप से यह लगाया गया है वह यह है कि होलिका ऐंजल सिनीयर सैकेण्डरी स्कूल ऋषिकेश उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद से उक्त अंकतालिका व प्रमाणपत्र लिये गये है, जबकि स्कूल अधिकृत नहीं था, तो इसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य सहकारिया समितियां थी, परंतु उनसे अनुसंधान अधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई तफ्तिश आदि नहीं की गयी है। परिवादी के द्वारा सोच-समझकर कांग्रेस के कार्यकाल में बीजेपी की सरकार जाने के बाद कार्यवाही की गयी है। परिवाद के अंदर जो यह आधार बताये गये हैं कि उसके द्वारा पूर्व में थानाधिकारी व कलेक्टर महोदय के सामने कार्यवाही करने के प्रयास किये गये थे, तो इसके बाबत स्वयं थानाधिकारी व तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने इनकारी की है। गवाह पी.डब्ल्यू 02 स्वयं यह स्वीकार करती है कि उसके द्वारा दस्तावेजों की जांच नहीं की गयी थी व उसके अधीन कर्मचारियों द्वारा की गयी थी, उनके अधीन कर्मचारीयों से पुलिस के द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर महोदय को कोर्ट की परिभाषा में नहीं माना जा सकता। इस स्थिति में धारा 193 भा.दं.सं. का अपराध भी अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित नहीं है। साथ ही बाद अनुसंधान पुलिस के द्वारा ऐसे कोई तथ्य स्पष्ट नहीं किये गये हैं कि अभियुक्त के द्वारा किसी अन्य के साथ मिलकर अपराधिक षडयंत्र किया गया हो। इस स्थिति में अभियुक्त के द्वारा अकेले षडयंत्र करना संभव नहीं है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर आरोपित अपराधों बाबत बरी फरमाया जाए। बहस के समर्थन में उनके द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये हैं, जो इस प्रकार से हैंः-

(i) 2018 Cr.L.R. (SC) 527, Sheila sebastian Vs. R. Jawaharaj & Anr. Etc.

(ii) 2025(4) CJ(Cri.) (SC) 1157, Vandna Vs. State of Maharastra

(iii) 2024(4) CJ(Cri.) (SC) 1153, Randeep Singh @ Rana &Anr. Vs. State of Haryana & Ors.

(iv) 2017(4) CJ(Cri.) (Raj.) 2040, Gurmeet Singh Vs. State of Rajasthan

(v) 2023(3) CJ(Cri.) (SC) 792, Manoj Kumar Soni Vs. State of Madhya Pradesh

(vi) 2021(1) CJ(Cri.) (Raj.) 225, Kiran Kanwar (Smt.) Vs. State of Rajasthan

(vii) 2024(1) CJ(Cri.) (SC) 54, Mariam Fasihuddin & Anr. Vs. State by Adugodi Police Station & Anr.

9. हस्तगत प्रकरण के विधिपूर्ण निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दू यह है किः–

1. आया अभियुक्त हरलाल ने अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र करते हुए वर्ष 2010 में होलिका ऐंजल सिनीयर सैकेण्डरी स्कूल ऋषिकेश उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के मिथ्या अंकतालिका व प्रमाण पत्र की छल के प्रयोजन से कूटरचना कर, मिथ्या साक्ष्य गढ़ कर मिथ्या साक्ष्य के आधार पर कूटरचित दस्तावेजात के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपाबंध 1 के प्रारूप के कॉलम सं.5 में मिथ्या घोषणा करते हुए निर्धारित अर्हता नहीं रखते हुए अर्हित होना साशय दर्शा कर अभियुक्त हरलाल द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रवंचित किया तथा उक्त दस्तावेजात का कपटपूर्वक व बेईमानीपूर्वक रूप से वर्ष 2015 में जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र वार्ड सं. 16 से जिला सदस्य के रिटर्निंग ऑफिसर जिला परिषद सदस्य निर्वाचन, जिला चूरू के समक्ष असल के रूप में उपयोग करते हुवे चुनाव जीतकर सदोष लाभ प्राप्त किया व

चुनाव प्राधिकारी व सम्मिलित अधिकारीयों व विपक्षी उम्मीदवारों को सदोष हानि कारित की?

2. यदि उक्त अवधार्य बिन्दू सकारात्मक रूप से साबित होता है तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डित किये जाने का पात्र है ?

10. अभियुक्त पर आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है। गवाह पी.डब्ल्यू.–1 चिमनाराम ने मुख्य परीक्षण में कथन किए कि मैं प्रार्थी ग्राम ढाडर का जागरूक मतदाता हैं। दो बार मैं जनप्रतिनिधि भी रहा हूँ और मुल्जिम हरलाल सिंह तत्कालीन जिला प्रमुख चूरू जिला परिषद में थे। मुल्जिम हरलाल सिंह ने पंचायत आम चुनाम वर्ष 2015 में अपना नाम निर्देशन पत्र जिला परिषद चूरू के वार्ड सं. 16 से अपना नामांकन पत्र श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय व जिला रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पेश किया था। यह है कि हरलाल सिंह ने अपने नामांकन पत्र के साथ दिये गये सांख्यिकीय सूचना पत्र में मद संख्या 09 में अपनी शिक्षा दसवी पास उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद उतराखण्ड से उतीर्ण करना बताया है एवं अनुबंध द्वितीय शपथ पत्र में मद से 5 में हाई स्कूल उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से उत्तीर्ण होना बताया है। मुझे इस बात का पता चलने पर मैंने श्रीमान् जिला निस कलेक्टर महोदय व जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार प्रमाणित प्रतिलिपि नोमिनेशन फॉर्म एवं साथ में लगाये गये शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी। मुझे प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने के बाद मैंने रु उसमें देखा कि हरलाल सिंह ने अपनी शैक्षणिक योग्यता हेतु फॉर्म के साथ उतराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद उतराखण्ड का दसवी पास का प्रमाण पत्र अनुक्रमांक (रोल नम्बर) 14,94,335 का लगाया था एवं इसके साथ ही एक अंकतालिका का एचएएसएस स्कुल ऋषिकेश के नाम का सैकण्डरी पास का लगाया था, उसका भी अनुक्रमांक (रोल नम्बर) 14,94,335 लिखा है। मैंने अपर सचिव लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर जिला नैनीताल से सुचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका के सत्यापन बाबत सूचना मांगी। सचिव महोदय ने प्रथम पत्र दिनांक 23.03.2015 में जवाब दिया कि अनुक्रमांक (रोल नम्बर) 14,94,335 वर्ष 2010 में हमने किसी भी परीक्षार्थी को अलॉटमेंट नहीं किया है। दुसरा पत्र दिनांक 04.04.2015 द्वारा रजिस्टरी उन्होने सूचना दी कि हॉल एंजियल सीनियर सैकण्डरी स्कुल ऋषिकेश उसके जवाब अपर सचिव ने बताया कि देहरादून पोडी टिहरी गढवाल में एचएएसएस स्कुल ऋषिकेश नाम से उत्तराखण्ड बोर्ड में कोई विद्यालय पंजीकृत नहीं है। फिर कहाँ कि वर्ष 2010 तक कोई विद्यालय पंजीकृत नहीं है। उसके बाद में मैंने कलेक्टर साहब को इस सबंध में

ऐप्लीकेशन दी थी कि हरलाल सारण के फॉर्म की जांच करवाओ और इसके खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाओ, लेकिन कलेक्टर साहब ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। तब मैंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ के समक्ष एक रीट याचिका दायर की, उसमें मैंने तीन निवेदन किये थे। फिर हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना में मैंने एसपी साहब चूरू को एक एप्लीकेशन लगायी, उसकी कोई कार्यवाही नहीं हुयी। इसलिये सीजेएम साहब चूरू को इस्तगाशा पेश किया था, जो प्रदर्श पी 1 है. जिस पर ए से बी स्थानो पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसका शपथ पत्र प्रदर्श पी 2 है। जिस पर भी ए से बी स्थानों पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस वालों ने मेरे बयान भी लिये थे। अपर सचिव लोक सूचना अधिकारी उतराखण्ड रामनगर द्वारा मुझे जो सूचना उपल करवायी गयी उस बाबत मूल पत्र आज मैं साथ लेकर आया हूँ। नोटः– अभियोजन अधिकारी ने इस स्तर पर उक्त मूल पत्र मय लिफाफा को प्रदर्शित करवाने की अनुमति चाही, जिस पर अधिवक्ता अभियुक्त ने आपति जाहिर की कि यह दस्तावेज गवाह का जारी किया हुआ नहीं है और ना ही उस पर गवाह के हस्ताक्षर नहीं है, इसलिये इस गवाह से यह दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया जाये। सुना गया। आपति को सुरक्षित रखते हुये उक्त दस्तावेज पर प्रदर्शित डालने की अनुमति दी जाती है। आपति का निस्तारण वरवक्त निर्णय किया जायेगा। अपर सचिव लोक सूचना अधिकारी रामनगर का उक्त पत्र प्रदर्श पी 3 है, जिसका कदरित लिफाफा प्रदर्श पी 4 है, जिसके पीछे डाक विभाग की स्लिप भी चस्पा है। हरलाल सिंह ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके उन दस्तावेजात का दुरूपयोग किया है।

अभियुक्त की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि मैं दो बार जनप्रतिनिधि रह चुका हूँ तथा मैंने जनप्रतिनिधि अधिनयम पढ रखे है। जनप्रतिनिधत्व अधिनियम के तहत में इस्तगाशा प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत हूँ अथवा नहीं हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, इस बारे में केवल प्रतिनिधित्व अधिकारी ही अधिकृत हो तो मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि मैंने लिफाफा प्रदर्श पी 4 इस्तगाशा के साथ पेश नहीं किया था, बल्कि फोटोप्रति पेश की थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 04 मुझे मिला हो वो अब प्रदर्श पी 04 में कहीं भी अंकित नहीं है। अजखुद कहा कि इस लिफाफे के अंदर लैटर प्रदर्श पी 03 आया था. जिसमें मेरा पता अंकित था। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 03 मुडा हुआ नहीं हो। यह कहना गलत है कि मैंने प्रदर्श पी 04 इस्तगाशे के साथ इसलिये पेश नहीं किया हो ताकि मैं इस सबंध में गुमराह कर सकू। प्रदर्श पी 03 मूल भी मैंने इस्तगारों के साथ पेश नहीं किया था। यह कहना सही है कि मैंने इस्तगाशें में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया कि मैं प्रदर्श पी 03 व 04 की फोटोप्रति पेश कर रहा हूँ। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 उतराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के लैटरहेड पर नहीं है। यह

कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 पर लोक सूचना अधिकारी की कोई सील भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा पृष्ठांकन है, कि प्रदर्श पी 03 सूचना के अधिकार के तहत जारी किया गया हो। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 में उल्लेखित नहीं है कि मार्कशीट व प्रमाण पत्र भिन्न–भिन्न प्रिंट हो। यह कहना सही है कि मुझे प्रदर्श पी 03 मिलने के बाद तथा उसने यह बात लिखी होने के बावजूद कि प्रमाण पत्र व अंकतालिका जाली है, उसके पौने चार वर्ष बाद भी मैंने कोई कार्यवाही नहीं की। यह सही है कि प्रदर्श पी 03 में यह उल्लेखित नहीं है कि वर्ष 2010 में अंकपत्र व प्रमाण पत्र कितने अनुक्रमांक से कितने अनुक्रमांक तक जारी किये गये थे। यह कहना गलत है कि मैंने साजिशी तौर पर प्रदर्श पी 03 को गुमराह करने के लिये पौने चार साल की अवधि रिपोर्ट करने में लगायी हो। मैंने सुचना के अधिकार के तहत सूचना पाने बाबत 50 रूपये का पोस्टलऑर्डर भेजे थे। अजखुद कहां कि मैंने दो अलग–अलग सूचना मांगी थी, जिसके लिये मैंने 50–50 रूपये के दो अलग–अलग पोस्टल ऑर्डर भेजे थे, मैं उन पोस्टल ऑर्डरों के नम्बर नहीं बता सकता हूँ। यह कहना सही है कि उन पोस्टल ऑर्डर के नम्बरों का उल्लेख प्रदर्श पी 03 में नहीं है। पोस्टल ऑर्डर की कांउन्टर कॉपी मुझे दी गयी थी, जिस कॉपी को भी मैंने इस्तगाशे के साथ पेश नहीं किया था। मैंने लोक सूचना अधिकारी उतराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल को खुद उपस्थित होकर लैटर दिया था।। यह सही है कि मुझे जो प्रदर्श पी 03 की रसीद दी थी वो मैंने इस्तगाशे के साथ नहीं लगायी थी। में रामनगर सामान्य टिकट से गया था, मैंने कोई रिजर्वशेन नहीं करवाया था। यह कहना गलत है किमैंने दिनांक 23.03.2015 तथा 04.04.2015 के दोनो पत्र विनोद प्रसाद सीमलेटी अपर सूचना अधिकारी से साज करके तैयार करवाये हो। यह कहना सही है कि दिनांक 23.03 2015 का लैटर तो मुझे उसी वक्त दे दिया गया था, लेकिन दिनांक 04.04.2015 पत्र प्रदर्श पी 03 मुझे रजिस्टर डाक से भेजा गया था। यह सही है कि लोकसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त पत्रांक पर उ.वि.सी.प/सू.अ/781/2014–15 दिनांक 23.03.2015 अंकित है। मैं 23. 03.2015 को सुबह 4 बजे रामनगर पहुंचा था। यह कहना गलत है कि उपरोक्त नम्बरी पत्र दिनांक 23.03.2015 को मेरे लिखा हो, उसी दिन मैंने पेश कर दिया, और उसी रोज मुझे सूचना मिल गयी हो किन्तु स्वयं हाजिर होकर पत्र देना इसलिये बता रहा हूँ कि इस एक ही दिन की सारी साजिशी कार्यवाही मैंने लोक सुचना अधिकारी से मिलकर की हो। यह कहना गलत है मुझे उसी दिन सारी सुचना मिलने के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सूचना प्राप्त करना बता रहा हूँ। यह कहना सही है कि मैंने इस्तगाशे में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि मैं व्यक्तिगत रूप से सूचना प्राप्त करने गया था। प्रश्न– प्रदर्श पी 03 में यह उल्लेखित नही है कि हाई स्कुल परीक्षा

अनुक्रमांक 1494333 किसी भी परीक्षार्थी को आंवटिन नहीं किया गया है. इस बारे में आपको क्या कहना है? उत्तरः– यह बात सही है।

मैंने दिनांक 23.03.2015 के आदेश से संतुष्ट था, इसलिये मैंने अपीलिय अधिकारी को कोई अपील नहीं की थी। दिनांक 04.04.2015 मैंने शिकायत इसलिये नही कि थी कि मैं दिनांक 23.03.2015 के आदेश से असंतुष्टं था। यह सही है कि दिनांक 23.03.2015 व दिनांक 04 04.2015 को मैंने अपीलिय अधिकारी को जो पत्र दिये थे, उनकी नकले इस्तगाशे के साथ पेश की है। अजखुद कहा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि फोटोस्टेट पेश की है। यह सही है कि दिनांक 23.03.2015 पत्र सुचना अधिकारी के लैटरहेड पर नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी है कि स्कूल के संचालन के लिये एक संचालन समिति बनती है उस समिति का पंजीयन रजिस्टार सहकारी समिती में होता है। अजखुद कहा कि सैकण्डरी या सैकण्डरी से उपर जो विद्यालय होता है उस स्टेट के बोर्ड से वो विद्यालय पंजीकृत होना अनिवार्य है। यह सही है कि मैंने रजिस्टार सहकारी समिति उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद के रामनगर (नैनीताल) से सूचना के अधिकार के तहत यह सूचना प्राप्त नहीं की कि जनपद देहरादून पोडि तथा टिहरी गढवाल में होली ऐन्जल सीनीयर सैकण्डरी स्कूल ऋषिकेश के नाम से रजिस्टार सहकारी समिति में उक्त विद्यालय पंजीकृत है या नहीं। यह सही है कि मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में जो बयान दिया था कि वर्ष 2010 तक ऐसा कोई विद्यालय पंजीकृत नहीं था ऐसा तथ्य प्रदर्श पी 03 में कही भी अंकित नहीं है। यह सही है कि मुझे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय चूरू से सूचना के अधिकार के तहत उनसे प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की साय प्रमाणित प्रति मिली थी। उक्त सत्यप्रतिलिपिया मैंने लोक सूचना अधिकारी उतराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर को सत्यापन हेत पेश की थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श वी 03 में तथा दिनांक 23.03.2015 के पत्रो में उक्त सत्यप्रमाणित प्रतिलिपियों पेश करने बाबत उल्लेख नहीं है। उक्त सत्यप्रतिलिपिया मुझे अर्चना सिंह तत्कालीन जिला कलेक्टर शुरु दी थी। जिला कलेक्टर को मैंने इस बाबत प्रार्थना पत्र दिया था। यह कहना सही है कि उक्त प्रार्थना पत्र की नकल भी मैंने इस्तगाशे के साथ नहीं लगायी थी क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी।

यह सही है कि दिनांक 17.12.2018 से पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यह भी सही है कि दिनांक 17.12.2018 से दिनांक 15.12.2023 राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। यह कहना गलत है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के शासन में अभियुक्त हरलाल सिंह के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की हो. बल्कि काग्रेस का शासन आने पर इसलिये कार्यवाही की हो. ताकि अन्वेषण अधिकारी व अन्य मेरे बेजा समर्थन कर सके। अजखुद कहा कि वर्ष 2015 से मेरी

हाईकोर्ट में चुनाव याचिका चल रही थी, उसमें मुकदमा दर्ज कराने हेतु हाईकोर्ट से निवेदन किया गया था. वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने मुझे यह मौखिक आदेश दिया कि अपराधिक प्रकरण आप स्वयं दर्ज करवाये, हाईकोर्ट नहीं करवायेगा, इसलिये मैंने दिनांक 25.01.2019 को यह प्रकरण दर्ज करवाया था। यह कहना गलत है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई मौखिक आदेश नही दिया गया हो। यह कहना सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई लिखित आदेश व निर्देश नहीं है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा थानाधिकारी को दिये गये तथाकथित पत्र में ऐसी कोइ रीसीप्ट या अन्य कथन अंकित नहीं है जिससे प्रतीत होता हो कि थानाधिकारी को उक्त पत्र दिया गया हो। यह कहना सही है कि इसी प्रकार एसपी साहब को दिये गये प्रार्थना पत्र में एसपी साहुब चूरू की कोई रीसीप्ट या प्राप्ति रसीद नहीं है। अजखुद कहा कि एसपी साहब को उक्त प्रार्थना पत्र रजिस्टर डाक से दिया था। यह कहना सही है कि दिनांक 07.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक से एसपी साहब को प्रार्थना पत्र भेजना बता रहा हूँ उसकी कोई डाक रसीद या प्राप्ति रसीद पत्रावली पर नहीं है। यह सही है कि अक्टूबर 2014 से फरवरी 2016 तक श्रीमती अर्चना सिंह जिला कलेक्टर चूरू के पद पर पदस्थापित थी और वर्ष 2015 पंचायती राजकीय चुनाव के दौरान जिला चूरू की निर्वाचन अधिकारी भी थी। यह कहना सही है कि मैंने चुनाव के दौरान अर्चना सिंह के समक्ष अभियुक्त के शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कोई शिकायत नहीं दी थी। अजखुद कहा कि चुनाव के बाद में मैंने इस संबंध में लिखित में शिकायत की थी। यह कहना सही है कि वो लिखित शिकायत पत्रावली पर नहीं है। मैंने अर्चना सिंह से यह शिकायत की कि आप जिला की निर्वाचन अधिकारी है, आप इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाये और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेजों की जांच करवाये। यह कहना सही है कि मैंने अपने स्तर पर उक्त शैक्षणिक योग्यता दस्तावेजो की कोई प्राईवेट जांच नहीं करवायी थी, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उक्त दस्तावेजातो में कोई नये तथ्य जोडे गये हो अथवा कोई तथ्य हटाये गये हो। यह सही है कि दिनांक 23.03.2015 एवं दिनांक 04.04.2015 को मैंने सूचनाअधिकारी उतराखण्ड को यह पत्र दिया था, उससे पहले से मेरे पास शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपी थी। मुझे पता नहीं है कि उतराखण्ड में प्रति पेज नकल लेने के लिये कितने रूपये लगते है। यह सही है कि मैंने दस्तावेज प्रदर्श पी 04 एवं दिनांक 22 03.2015 के दस्तावेज लेने के लिये उन पर कोई टिकट नहीं लगायी। अजखुद कहा कि प्रपत्र संख्या 01 के लिये 50 रूपये का पोस्टल ऑर्डर प्रति फॉर्म हेतु जमा करवायें थे। दस्तावेज की नकल लेने के लिये मैंने सूचना अधिकारी को कोई राशि जमा नहीं करवायी थी। अजखुद कहा कि उसके लिये रूपये नहीं लगते। मैंने थानाधिकारी व एसपी साहब को उक्त संबंध में जो प्रार्थना पत्र दिया था, उसके साथ शैक्षणिक योग्यता

के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपिया लगायी थी। यह सही है कि अभियुक्त ने निर्वाचन अधिकारी को शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में फोटोकॉपी दी थी. मूल नहीं दी थी। अजखुद कहा कि हरलाल सिंह ने स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित फोटोकॉपी जमा करवायी थी। यह सही है कि मैंने थानेदार जी को फोटोप्रति की फोटोप्रति दी थी। यह कहना गलत है कि मैंने उत्तराखण्ड में भी निर्वाचन अधिकारी से इन दस्तावेजों की फोटोप्रति की फोटोप्प्रति दी हो। मेरे द्वारा दस्तावेजात के संबंध में निर्वाचन अधिकारी ने मुझे दो सेट दिये थे, जिनमें से एक सेट मैंने उतराखण्ड बोर्ड के सचिव को दिया था तथा दूसरा सेट माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश रीट याचिका के साथ लगाया था। यह कहना सही है कि मैंने अन्वेषण अधिकारी व न्यायालय के समक्ष उक्त दस्तावेज की प्रमाणितप्रति प्रारंभ में नहीं लगायी थी। यह कहना गलत है कि मैंने थानाधिकारी को दिनांक 15.12.2018 को दी गयी रिपोर्ट के संदर्भ में कोई प्रमाण पत्र एवं एसपी को भेजे गये पत्र की कोई पोस्टल रिपोर्ट या एडी इसलिये पेश नहीं की कि न तो थानेदार जी को कोई लिखित रिपोर्ट दी गयी एवं ना ही एसपी चूरू को कोई प्रार्थना पत्र दिया गया बल्कि कानूनी सलाह लेकर धारा 154 (1) एवं 154(3) की परिपूर्ति हेतु यह बाद में बनाये दस्तावेजात इस्तगाशे के साथ पेश किये हो। यह सही है कि मैं वर्ष 2005 से 2009 के बीच ग्राम पचांयत ढांढर का सरपंच था। यह सही है कि पचांयत समिति के चुनाव सरपंच के चुनावों से दो दिन पहले ही हो गये थे और मैंने जी पचायत समिति वार्ड का चुनाव लड़ा था वो कांग्रेस के सिम्बल पर लड़ा था और हरलाल सिंह ने बीजेपी के सिम्बल पर चुनाव मेरे सामने लड़ा था। यह कहना सही है कि उक्त चुनाव में हरलालसिंह से हार गया था। यह कहना गलत है कि उसके बाद से ही मैंने हरलाल सिंह जी से राजनीति के अलावा व्यक्तिगत वैमनश्यती रखनी शुरू कर दी हो। यह सही है कि मैंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रीट याचिका सं. 4546/2015 पेश की थी। मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहाँ था कि उक्त याचिका मैंने तीन निवेदनों पर पेश की थी. उनमें से पहला निवेदन चूरू जिता परिषद के वार्ड संख्या 16 का चुनाव निरस्त किया जावे, दूसरा हरलाल सिंह को जिला प्रमुख के पद से हटाया जावे. तीसरा हरलाल सिंह के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाये। यह कहना गलत है कि मैंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने की प्रार्थना इसलिये की हो कि मुझे पता था कि मैं अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना दर्ज करने के लिये अधिकृत नहीं है। अजखुद कहा कि मैं तो अपने आप को इस हेतु अधिकृत समझता हूँ। मेरी उक्त रीटयाचिका अभी वर्तमान में लंबित नहीं है। उक्त याचिका में मेरे एक निवेदन को नहीं माना गया था. बाकी दो निवेदनों को माना गया था। हरलाल सिंह का चुनाव निरस्त नही किया गया था क्योंकि जिलाप्रमुख का कार्याकाल पूरा हो गया था। माननीय

राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश में दस्तावेजों के सही अथवा गलत होने बाबत कोर्ड अतिमनेर्णय नहीं लिया गया था। यह कहना सही है कि मैंने उक्त आदेश के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में कोई अपील नहीं की थी। यह सही है कि अभियुक्त हरलाल ने अपना जिलाप्रमुख का कार्याकाल पूरा किया था तथा सभी भत्ते व सुविधाये प्राप्त की थी। उक्त रिट याचिका मैंने एफआईआर दर्ज करवाने से पहले की थी। मैंने उक्त एफआईआर में जो तथ्य अंकित करवाये थे, वो सारे तथ्य मैंने माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका में अंकित किये थे।

यह सही है कि लिफाफा प्रदर्श पी 04 न तो अन्वेषण अधिकारी ने मेरे से मांगा था, और ना ही मैंने देने की चेष्ठा की थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 व 04 न्यायालय में पेश करने के लिये मैंने धारा 91 सीआरपीसी की दरखास्त पेश नहीं की थी। यह कहना सही है कि उक्त दस्तावेजात प्रदर्श पी 03 व 04 न्यायालय में मेरे से तलब नहीं करवाये थे। अजखुद कहा कि इनकी फोटोकॉपी लगी हुयी थी, असल मैंने पेश कर दी थी। यह कहना सही है कि इस्तगारों में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि मैंने स्वयं ने उपस्थित होकर लोक सुचना अधिकारी को दिनांक 23.03.2015 व दिनांक 04.04.2015 को पत्र दिये थे। अजखुद कहाँ कि दिनांक 23.03.2015 वाला पत्र मुझे बाई हैण्ड दिया था तथा दिनांक 04.04.2015 वाला पत्र मुझे डाक से प्राप्त हुआ था। दोनो पत्र सूचना अधिकारी को दिनांक 23.03.2015 को एक साथ ही दिये थे। मैंने जिला निर्वाचन अधिकारी को यह प्रार्थना पत्र नही दिया एवं ना ही अन्वेषण अधिकारी को यह पत्र दिया कि दिनांक 23.03.2015 व दिनांक 04.04.2015 के पत्रों की विशेषज्ञ या हस्तलेख विशेषज्ञ से जांच करवायी जाये। यह कहना गलत है कि मैंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जो एसबी सिविल रीट पीटीशन 4546/2016 पेश की थी, जिसे माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री विजय बिश्नोई ने दिनांक 24.08.2020 को निर्णय फरमाकर उक्त रिट को खारिज करवा दिया हो। अजखुद कहा कि जिला प्रमुख का कार्याकाल पूर्ण हो चुका था, इसलिये पत्रावली को डिस्पॉज कर दिया गया था। उक्त रिट इन्फैक्चुअस होने के कारण डिस्मिस कर दी गयी थी, जो रीट ई–प्रति प्रदर्श डी 1 है। यह सही है कि मैंने इस रीट में अभियुक्त जिला प्रमुख की निरन्तरता को इस आधार पर चैलेंज किया था, कि अभियुक्त के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है, उसकी शैक्षणिक योग्यता फर्जकारी / फर्जी की हुयी है। मुझे ध्यान नहीं है कि उक्त रिट ई–प्रति प्रदर्श डी 1 में अभियुक्त की शैक्षणिक योग्यता के बारे में निर्णय किया गया है या नहीं किया गया है। मैंने दिनांक 24. 08.2020 को जब उक्त रीट प्रदर्श डी 1 के संबंध में फैसला हुआ, उससे पूर्व मैंने माननीय उच्च न्यायालय में यह तथ्य बता दिया था कि मेरे द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध फर्जी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। प्रदर्श डी 1 में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। यह

कहना गलत है कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया हो कि मैंने अभियुक्त हरलाल के विरूद्ध न तो वार्ड पंच का चुनाव लडा और ना ही मैंने अभियुक्त हरलाल के विरुद्ध जिलाप्रमुख का चुनाव लडा इसलिये मैं चुनाव याचिका प्रस्तुत करने व एफआईआर दर्ज करवाने के लिये अधिकृत / सक्षम नहीं हूँ।

यह सही है कि प्रदर्श डी रिट याचिका में मुझे ऐसा कोई निर्देश/ आदेश नहीं दिया गयाहै कि मैं अभियुक्त के विरूद्ध कोई एफआईआर दर्ज करवाउ। अजखुद कहा कि मुझे मौखिक रूप से आदेश दिया गया था। यह सही है कि उक्त मौखिक आदेश का उल्ल रिट याचिका में नहीं है। यह कहना गलत है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह लिखा हो कि केवल निर्वाचन अधिकारी ही एफआईआर दर्ज करवा सकते है एवं चुनाव निरस्त करवाने की कार्यवाही कर सकते है। मैंने प्रदर्श डी 1 आदेश पढ़ा था, उसमें उपरोक्त वर्णित तथ्य नहीं है। यह सही है कि मेरी रिट में जिला कलेक्टर पक्षकार संख्या 2 थे। यह सही है कि मैंने उक्त रिट 2015 में ही कर दी थी। यह सही है कि वर्ष 2015 से मेरे द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने तक जिला कलेक्टर महोदय ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी। यह कहना गलत है कि मैंने इस आशय कि रिट याचिका न्यायालय में पेश की हो. कि जिला प्रमुख के रूप में अभियुक्त हरलाल को मिले वेतन भत्ता, तनख्वाह व अन्य सुविधाएं वापस ली जावे। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी हो। यह सही है कि अभियुक्त हरलाल ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी स्पेशल अपील / रिट नम्बर 1051/2017 प्रस्तुत की थीं, जिसमें मैं रिस्पोडेंट संख्या 4 के रूप में पक्षकार था। यह कहना सही है कि अभियक्त हरलाल द्वारा पेश डी.बी स्पेशल अपील / रिट नम्बर 1051/2017 उक्त रिट की ई–प्रति प्रदर्श डी 2 है। यह सही है कि अभियुक्त हरलाल द्वारा पेश की गयी डी.बी स्पेशल अपील / रिट नम्बर 1051/2017 दिनांक 13.12.2017 को स्वीकार हो गयी थी। यह कहना गलत है कि उक्त रिट डी बी स्पेशल अपील / रिट नम्बर 1051/2017 में में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश फरमाया गया हो कि चिमनाराम ने प्रार्थी के सामने न तो वार्ड पंच का चुनाव लड़ा है और ना ही जिला प्रमुख का चुनाव लडा है, इसलिये चिमनाराम द्वारा प्रस्तुत चुनाव याचिका पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यह कहना गलत है कि डीबी द्वारा उक्त आदेश में यह भी निर्धारित किया गया था कि भारतीय संविधान के नियन 80 के तहत व नियम 1994 के अनुसार केवल चुनाव लडने वाला व्यक्ति ही चुनाव को चुनौती दे सकता है अन्य कोई नागरिक नहीं है। अजखुद कहा कि नियम 80 में चुनाव याचिका मात्र जिला एवं सेशन न्यायालय में पेश होती है। यह कहना गलत है कि माननीय उच्च न्यायालय ने डीबी में नियम 80 की व्याख्या करते हुये यह आदेशित किया हो कि आप इस चुनाव को चैलेज नहीं कर सकते है। यह सही है कि मनीष पुत्र बनवारी लाल

निवासी खासौली तहसील व जिला चूरू थाना सदर चूरू में मेरे विरूद्ध एफआईआर 09/2019 दर्ज करवायी थी। यह कहना गलत है कि इस रिपोर्ट में अभियोगी मनीष ने यह तथ्य सही लिखाये हो कि मेरे सरपंच कार्याकाल के दौरान बिल्डिंग मैटिरीयल, इंट बजरी, पत्थर, चौखट, पट्टी, लोहे के गेट. जीआई, पीवीसी पाईप आदि के विक्रय की फर्जी फर्म चौधरी बिल्डिंग मैटिरियल दादर के नाम से बनवाकर फर्जी बिल बुक छपवाकर बिल बुक पर टिन नम्बर 1145 एवं मोबाईल नम्बर 9413178355 जो मेरे स्वयं के नम्बर है. का उपयोग कर ग्राम पंचायत को निर्माण सामग्री की सप्लाई कर ग्राम पंचायत द्वारा मेरे हस्ताक्षरों से मेरी ही उक्त फर्म का भुगतान कर दिया गया हो। अजखुद कहा कि मनीष कुमार पुत्र बनवारी लाल अभियुक्त हरलाल सिंह का भतीजा है और मेरे हरलाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के बाद राजनीतिक द्वेषता रखते हये बदले की भावना से मेरे उपर उक्त एफआईआर दर्ज करवायी जिसका अनुसंधान होने पर मुकदमें में एफआर लगी थी। मेरी फर्म वाणिज्य कर अधिकारी से आज भी पंजीकृत है। प्रश्न– टिन नम्बर 01145 की जानकारी वाणिज्य कर विभाग चूरू से की गयी तो वाणिज्य कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक सु. का. अ/लो.सु.अ.वा.क.अ/ चूरू/15/16/ 72दिनांक 25.05.2015 द्वारा सूचित किया कि टिन नम्बर 01145 से इस कार्यालय से कोई फर्म पंजीकृत नहीं है व मैसर्स चौधरी बिल्डिंग मैटिरियल के टिन नम्बर 01145 दर्शाये गये है वो सही नहीं है, इस बारे में आपको क्या कहना है? उत्तरः– यह गलत है। मेरी फर्म 1145 थी, वो वाणिज्य विभाग से पंजीकृत नहीं थी, बल्कि उद्योग विभाग से पंजीकृत थी। यह सही है कि मैंने जो फर्म के लिये आवेदन किया था, वो पत्थर काटने के लिये किया था। अजखुद कहा कि उद्योग विभाग में पत्थर कंटिंग का आवेदन किया था। यह कहना गलत है कि मैंने पत्थर काटने के संदर्भ में कोई भी आद्यौगिक इकाई स्थापित न की हो। अजखुद कहा कि आज भी चालु है।यह कहना सही है कि टिन नम्बर वाणिज्य कर विभाग से मिलते हैं। अजखुद कहा कि उद्योग विभाग से भी टिन नम्बर मिलते है। यह सही है कि चौधरी बिल्डिंग मैटिरियल फर्म ढाढर मेरी स्वयं की है। यह कहना गलत है कि बिल नम्बर 23, 44, 48. 50 मैंने बतौर सरपंच मेरी ही फर्म को भुगतान किया हो। अजखुद कहा कि ये बिल मेरे सरपंच रहने के समय के नहीं है। यह कहना गलत है कि उक्त बिलों के माध्यम से मैंने मेरी फर्म को किसी प्रकार का कोई / किसी प्रकार का भुगतान किया हो और मैंने 13 लाख राशि का भुगतान किया हो। यह सही है कि राजेन्द्र गौड वर्ष 2010–15 के समय बी.डी.ओ थे। यह कहना गलत है कि एफआईआर नम्बर 09 में राजेन्द्र गौड बीडीओ ने यह बयान दिया था कि इस प्रकरण में विकास अधिकारी ही मुकदमा दर्ज कराने के लिये अधिकृत है, इसलिये एफआईआर 09 जो मेरे विरूद्ध थी, उसमें अंतिम रिपोर्ट दी गयी हो। अजखुद कहा कि उस समय राजेन्द्र गौड बीडीओ रिटायर्ड हो चुके थे। मुझे

पता नहीं है उक्त एफआर अभी तक कोर्ट में पेडिंग हो। यह कहना सही है उक्त अंकतालिका व प्रमाण पत्र में फॉरर्जरी मेरे सामने नहीं हुयी थी. कहाँ हुयी व कब हुयी तथा किस प्रकार से हुयी थी. मुझे इस बारे में ध्यान नहीं है। यह सही है कि इस प्रकरण का प्रारंभिक अनुसंधान गणेश कुमार उपनिरीक्षक थानाधिकारी ने किया था। यह कहना गलत है कि गणेश कुमार ने मेरे से साझ करके पेपर कटिंग के आधार पर फर्जी सूचनाए बनायी हो। यह कहना भी गलत है कि उसकी इस अवैधानिक कार्यवाही की वजह से गणेश कुमार को सस्पेंड किया गया हो। मुझे पता नहीं है कि गणेश कुमार को सस्पेंड किया गया था या नहीं। अजखुद कहा कि मैं गणेश कुमार को जानता ही नही हूँ। मुझे पता नहीं है कि इस प्रकरण में रणधीर सिंह सीआई हो और मेरे से साजिश करने के कारण उनको भी टर्मिनेट कर दिया गया हो। अजखुद कहा कि रणधीर सिंह जी मेरे उपर हुये मुकदमें से पहले ही रणधीर सिंह जी टर्मिनेट हो गये थे। मैं यह नहीं बता सकता किस कम्प्युटर फर्जी कार्यवाही की गयी थी। मुझे पता नहीं है कि अभियुक्त को कम्प्युटर चलाना आता है या नहीं आता है। यह सही है कि अन्य व्यक्तियों का आज तक न तो मुझे पता लगा और ना ही पुलिस को पता लगा। यह कहना गलत है कि किसी प्रकार की कोई फर्जी कार्यवाही / छल एवं आपराधिक षडयंत्र के कोई साक्ष्य / साक्षी नहीं होने के बाद भी मैंने राजनीतिक द्वेष की वजह से बिना क्षेत्राधिकारिता रखते हुये बिना अधिकार के यह झूठा मुकदमा मैंने अभियुक्त के विरूद्ध किया हो। मैंने इस प्रकरण में वोटर आईडी पेश की थी। ऐसी कोई भी आईडी आज पत्रावली पर नहीं है।

गवाह पी.डब्ल्यू.–2 अर्चना सिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किए कि मैं चूरू जिला अक्टूबर 2014 से फरवरी 2016 तक कलेक्टर के पद पर पदस्थापित थी। जनवरी वर्ष 2015 में जिला परिषद के चुनाव में मैं निर्वाचन अधिकारी थी, इसके अलावा नगरीय निकाय के चुनाव हुये थे, नगरीय निकाय के चुनाव किस दिनांक को हुये थे, समय मुझे ध्यान नहीं है। पंचायती राज के चुनाव में जिला परिषद के वार्ड के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में मेरे समक्ष आवेदन देश किया गया था। उक्त आवेदन हरलाल सारण के द्वारा पेश किया गया था। आवेदन पेश करने के बाद सभी प्रकार के दस्तावेज चैक करने होते है अगर संपूर्ण दस्तावेज पूर्ण हो और किसी प्रकार की कोई आपति नहीं आती है तो आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है। हरलाल सारण ने वार्ड 16 के प्रत्याशी के रूप में आवेदन पेश किया था। उक्त फॉर्म को मेरी टीम द्वारा चैक किया गया था तथा निर्वाचन अधिकारी के तौर पर मैने भी फॉर्म को चैक किया था। उक्त फॉर्म मेरे समक्ष दिनांक 12.01. 2015 को पेश किया गया था। आज मुझे मौखिक रूप से याद नहीं है कि आवेदन के साथ क्या–क्या दस्तावेज पेश किये गये थे। नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 4 (क) प्रदर्श पी 5 है. जो दो पेज में है. जिस पर पेज संख्या 2 पर ए से बी स्थानो पर दो जगह पर मेरे हस्ताक्षर है एव हस्ताक्षरों के नीचे सील मोहर लगी

है। इस फॉर्म के माध्यम से क्या–क्या जानकारीया दी गयी थी, आज मुझे याद नहीं है। में दस्तावेजात देखकर बता सकती हूँ। गवाह ने दस्तावेज देखकर बताया कि प्रदर्श पी 5 में नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 4 (क) नाम, पिता का नाम, आयु, पता, किस पार्टी के द्वारा खड़े हुये है, और किस निर्वाचन क्षेत्र से है, इस बारे में जानकारी है। फॉर्म के साथ प्रत्याशी के द्वारा दिया गया शपथ पत्र है और एज्युकेशन से संबंधित दस्तावेजात पेश किये है। मैं रिकॉर्ड देखकर ही बता सकती हूँ कि फॉर्म के साथ क्या दस्तावेज पेश हुये थे। गवाह ने दस्तावेज देखकर कहाँ कि एक मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट है। मुझे आज ध्यान नहीं है कि मेरे समक्ष शिक्षा संबंधी असल दस्तावेजात पेश हुये थे या फोटोप्रति पेश हुयी थी। गवाह को फोटो प्रति शैक्षणिक दस्तावेज दिखाये जाने पर गवाह ने कहा कि मैं अज्युम करती हूं, कि इस पर हरलाल सारण के हस्ताक्षर है। चुनाव हेतु प्रस्तुत किये गये चुनाव निर्देशन फॉर्म के साथ प्रदर्श पी 06 अंकतालिका हाई स्कूल परीक्षा व प्रदर्श पी 07 बोर्ड ऑफ स्कुल एज्युकेशन उत्तराखण्ड के प्रमाण पत्र दोनो की फोटो प्रतिया पेश की गयी थी। प्रदर्श पी 05 के साथ प्रदर्श पी 06 व 07 के अतिरिक्त प्रदर्श पी 08 मार्कशीट अंकतालिका जामिया उर्दू अलीगढ़ की फोटो प्रति भी पेश की गयी थी।

अभियुक्त की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि जिला परिषद सदस्य चूरू के निर्वाचन के लिये मुझे निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने बाबत मुझे अलग से कोई आदेश दिया गया था, तो अभी मुझे ध्यान नहीं है। मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने इस प्रकार के किसी आदेश की कॉपी अनुसंधान अधिकारी को दी थी या नहीं। यह सही है कि ऐसे कोई आदेश की प्रति इस पत्रावली पर मौजूद / उपलब्ध नहीं है। यह कहना गलत है कि गलत है कि मुझे निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया हो. इस कारण ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर न हो। जनवरी 2015 के जिला परिषद के चुनाव में किन–किन व्यक्तियों फॉर्म प्रस्तुत किये थे, इस संबंध में मैंने कोई रिकॉर्ड स्वयं ने नहीं रखा था, मेरे तत्समय के कार्यालय में होगा। यह कहना सही है कि उक्त नाम निर्देशन पत्र मेरे अधीन जो टीम थी. उसके द्वारा चैक किया गया था, उसके बाद मेरे समक्ष नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत हुआ था। अभी मुझे ध्यान नहीं है कि नाम निर्देशन पत्र प्रदर्श पी 05 मेरे अधीन किस व्यक्ति ने चेक किया था. अजखुद कहा कि उसका रिकॉर्ड भी मेरे तत्समय कार्यालय में होगा। यह कहबा सही है किं प्रदर्श पी 05 नाम निर्देशन पत्र में कही पर भी ऐसा कही अंकन नहीं है जिससे यह (साबित होता हो कि उक्त पत्र प्रदर्श पी 05 अभियुक्त ने स्वयं ने प्रस्तुत होकर पेश किया हो, अजखुद कहा कि मुझे आज याद है कि अभियुक्त ने स्वयं उपस्थित होकर प्रदर्श पी 05 पेश किया था. फिर गवाह ने कहाँ कि प्रदर्श पी 05 के भाग 4 (रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरे जाने के लिय) में इस बात का अंकन है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 05 के प्रथम

पेज पर अभियुक्त हरलाल के हस्ताक्षर नहीं है, अजखुद कहा कि इस पर प्रस्थापक के हस्ताक्षर होते है। मुझे इस बात का ध्यान नहीं है कि प्रदर्श पी 05 फॉर्म के साथ पेश की गयी मार्कशीट की फोटोप्रति मेरे सामने तैयार हुयी थी या नहीं। प्रदर्श पी 05 व उसके साथ संपूर्ण संलग्न दस्तावेजात प्रदर्श पी 06, 07, 08 पर हरलाल के हस्ताक्षर मेरे सामने नहीं हुये थे, अजखुद कहाँ कि हस्ताक्षरशुदा दस्तावेज मेरे सामने लेकर आये थे। यह मेरे ध्यान में नहीं है कि जिला परिषद के सदस्य के चुनाव में एक ही कैडिंडेट एक से अधिक फॉर्म भर सकता हो। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 05 पर इसे अंतिम रूप से स्वीकृत करने बाबत अंकन नहीं हो। नहीं है। मुझे ध्यान उक्त फॉर्म प्रदर्श पी 05 किसकी हस्तलिपि में भरा गया है, यह मुझे ध्याननहीं है कि प्रदर्श पी 05 नाम निर्देशन फॉर्म के साथ जो दस्तावेजों की फोटोप्रति संलग्न है, वो मेरे सामने प्रमाणित हुयी थी या नहीं। यह कहना सही है कि निर्वाचन के लिये जो उम्मीदना शपथ पत्र पेश करते हैं, उन शपथ पत्रों के आधार पर यदि कोई आपति नहीं आती है तो कार्यवाही करते है। मुझे इस बात का ध्यान नहीं है कि चुनाथ आवेदन के दौरान पेश किये शपथ पत्र में किसी प्रकार के मिथ्या कथन अंकित किये जाते है तो उस पर धारा 125 (ए) रिप्रजेंटेंशन ऑफ पीपल एक्ट एवं पचांयत अधिनियम के तहत केवल मुझ रिटर्निंग ऑफिसर को ही कार्यवाही करने का अधिकार हो। मेरे ध्यान में नहीं है कि मैंने अभियुक्त हरलाल के विरूद्ध किसी व्यक्ति को एफआईआर एवं कोई कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया था या नहीं अथवा इस बाबत पत्रावली पर कोई दस्तावेज है या नहीं। प्रदर्शपी 06 व 07 पर ए से बी भाग में जो यूआरएल लिंक अंकित है, वो किस चीज का है. मुझे ध्यान नहीं है। मुझे इस बात का ध्यान नहीं है कि वार्ड नम्बर 16 में अभियुक्त हरलाल के सामने जिला परिषद के सदस्य का चुनाव किसने लड़ा था व जिला प्रमुख का चुनाव भी अभियुक्त हरलाल के सामने किसने लड़ा था। यह कहना सही है कि जिला परिषद सदस्य के चुनाव में दसवी कक्षा पास करने की योग्यता की शतं फरवरी 2019 में हटा दी गयी थी। यह कहना सही है कि जिस समय अभियुक्त हरलाल का नाम निर्देशन फॉर्म प्रदर्श पी 05 जमा हुआ था, उस समय मेरे समक्ष इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं आयी थी। पुलिस बयान देते समय पुलिस ने मुझे कोई दस्तोवज दिखाये थे अथवा नहीं इस बारे में मुझे ध्यान नहीं है। मैंने आईओ को कोई दस्तावेज प्रमाणित करके नहीं दिये थे, अजखुद कहा कि किसने दिये थे मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि वर्ष 2019 में मेरा स्थानान्तरण हो चुका था, अगर आईओ ने दस्तावेज लिये होगे तो वो कार्यालय से लिये होंगे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 05 के साथ जो शपथ पत्र संलग्न है, उस शपथ पत्र पर मेरे द्वारा कोई पृष्ठांकन नहीं किया हुआ है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 05 व उसके संलग्न शपथ पत्र में कही पर भी स्कूल की नाम व रोल नम्बर अकित नहीं है।

गवाह पी.डब्ल्यू.–3 सुरेन्द्र सिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किए कि मैं दिनांक 13.05.2019 को पुलिस थाना सदर चूरू में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस रोज श्री रामनारायण एसआई पुलिस थाना सदर चूरू ने मुकदमा नम्बर 17/2019 पुलिस थाना कोतवाली चूरू के अनुसंधान के दौरान जिला निर्वाचन शाखा कलेक्ट्रेट चूरू में पंचायत समिति / जिला परिषद के सदस्यों का नाम निर्देशन फॉर्म जप्त किया था, जिसकी फर्द जप्ती तैयार की गयी थी, जो कि प्रदर्श पी 09 है, उस समय वहाँ पर मैं, श्रीधर्मपाल कानि., मुकेश कुमार एल.डी.सी. मौजूद थे. प्रदर्श पी 09 पर ए से बी स्थान पर हस्ताक्षर मेरे है। इसके उपरांत दिनाक 19.05.2019 को उपरोक्त मुकदमा के मुल्जिम हरलाल सिंह को श्री रामनारायण एसआई/ थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चूरू द्वारा गिरफतार किया गया था, जिसकी फर्द गिरफतारी बनायी गयी थी जो प्रदर्श पी 10 है, जिस पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है।

अभियुक्त की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि मेरे सदर थाना चूरू में तत्समय पदस्थापित होने के संबंध में न तो मैं आज कोई दस्तावेज साथ लेकर आया हूँ और ना ही पत्रावली पर मौजूद है। दिनांक 13.05.2019 को हम सदर थाने से लगभग 11.30एएम के करीब रवाना हुये थे। यह कहना सही है कि हम जब भी थाने से कही पर जाते है तो उसकी रिपोर्ट रोजनामचा रजिस्टर में डालते है। यह कहना सही है कि रोजनामचा रजिस्टर की रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। यह कहना गलत है कि रोजनामचा रजिस्टर की रिपोर्ट इस कारण पत्रावली पर न हो क्योंकि मैं वहाँ नहीं गया हूँ। सदर थाना से रवाना होकर हम कलेक्ट्रेट चूरू पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट से सदर थाना चूरू की दूरी लगभग 500–600 मीटर के करीब है। यह कहना सही है कि उस समय निर्वाचन शाखा कलेक्ट्रेट चूरू में काफी कर्मचारी थे और वहाँ पर आम आदमियों का आना–जाना रहता है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 09 के दोनो गवाह पुलिस कर्मी है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आईओ ने स्वतंत्र गवाह बनाने हेतु न तो प्रयास किया हो और ना किसी को स्वतंत्र गवाह बनने हेतु बुलाया था या नहीं। यह कहना गलत है कि मैं उस समय मौके पर साथ नहीं रहा हूँ और इस कारण से मुझे स्वतंत्र गवाह बनाने अथवा बुलाने के संबंध में जानकारी न हो। कलेक्ट्रेट में मैं पूरे समय आईओ के साथ ही था। कलेक्टर साहब को आईओ ने दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिये प्रार्थना पत्र दिया था। तत्समय कलेक्टर कौन था, मुझे ध्यान नहीं है, कलेक्टर साहब को जब आईओ ने प्रार्थना पत्र दिया था उस समय मैं साथ नहीं गया था। यह कहना सही है कि ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पत्रावली पर मौजूद नहीं है। जो दस्तावेज में लेना बता रहा हूँ, वो दस्तावेज फोटोप्रतिया थी. मूल/असल नहीं थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 09 में फोटोप्रति लेने बाबत अकन नहीं है, अजखुद कहा कि आईओ द्वारा नाम निर्देशन फॉर्म व

उसकेसंलग्न दस्तावेज जप्त किये गये थे। मैं कलेक्ट्रेट में लगभग 2 घंटे के करीब रूका था। हम कलेक्ट्रेट किस साधन से गये थे और किस साधन से वापस आये थे, आज मुझे याद नहीं है। हम वापस थाने में कितने बजे आये थे, समय मुझे आज याद नहीं है। मुझे यह ध्यान है कि थाने में हम जब कोई कार्यवाही करके पहुँचते है तो थाने में आमद करवायी जाती है। यह कहना सही है कि पत्रावली पर ऐसी कोई आमद नहीं है। यह कहना गलत है कि पत्रावली पर आमद और रवानगी का दस्तावेज इसलिये नहीं हो क्योंकि हमने प्रदर्श पी 09 पर हस्ताक्षर थाने पर ही किये हो। यह कहना भी गलत है कि मेरे सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की गयी हो। मुल्जिम को दिनांक 19.05.2019 को जयपुर से दस्तयाब करके चूरू पुलिस लाईन अन्वेषण भवन में लेकर आये थे। हम तलाश के लिये जयपुर दिनांक 18.05.2019 को गये थे, जो हम प्राईवेट साधन से गये थे. जिसके नम्बर मुझे ध्यान नहीं है। हम जयपुर के लिये थाना से दिनांक 18.05.2019 को दोपहर में गये थे, जिसकी रवानगी व वापस आने की रिपोर्ट थाने में डाली थी। यह कहना सही है कि उक्त रवानगी व वापसी की रिपोर्ट के दस्तावेज आज पत्रावली पर नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरे सामने कोई गिरफतारी नही हुयी हो, और मैंने प्रदर्श पी 9 व 10 पर अपने अनुसंधान अधिकारी के कहने पर थाने में बैठकर ही हस्ताक्षर किये हो।

गवाह पी.डब्ल्यू.–4 धर्मपाल ने मुख्य परीक्षण में कथन किए कि दिनांक 13.05.2019 को मैं पुलिस थाना सदर में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस रोज मुकदमा नम्बर 17/2019 पुलिस थाना कोतवाली चूरू के अनुसंधान अधिकारी रामनारायण एसआई ने कलेक्ट्रेट के निर्वाचन शाखा से चुनाव संबंधित दस्तावेजात जप्त किये थे, दस्तावेज जप्त किये तब मौके पर मैं. आईओ व सुरेन्द्र कानि. मौजूद थे। उक्त दस्तावेज जप्त किये जाते समय फर्द जप्ती बनायी गयी थी जो प्रदर्श पी 09 है जिस पर सी से डी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है।

अभियुक्त की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि हम थाने से 12.30 पीएम के करीब रवाना हुये थे और वापस थाना कितने बजे आये थे, मुझे याद नहीं है। कलेक्ट्रेट में हम कितने नम्बर कमरे में गये थे, मुझे पता नहीं है, अजखुद कहा कि हम कलेक्ट्रेट की दूसरी मंजिल में निर्वाचन शाखा में गये थे। निर्वाचन शाखा के कुल कितने कमरे है, मुझे पता नहीं है। जिस कमरे में मैं जाना बता रहा हूँ, उसका गेट किस दिशा में खुलता था, मुझे आज ध्यान नहीं है। जहाँ मैं जाना बता रहा हूँ, वहाँ पर स्टाफ बैठा था, उनमें से एक बाबू ने आईओ को दस्तावेज दिये थे। दस्तावेज क्या थे, मुझे पता नहीं है, अजखुद कहाँ कि चुनाव संबंधित दस्तावेज थे। जिस बाबू ने आईओ को दस्तावेज दिये थे, उसका नाम मुकेश था. ऐसा थानेदार जी बोल रहे थे। मेरे सामने थानेदार जी ने दस्तावेज लेने के लिये कोई प्रार्थना पत्र नहीं

दिया था. अजखुद कहा कि थानेदार जी पहले से ही इस संबंध में प्रार्थना पत्र कलेक्टर महोदय को दिया होना बता रहे थे। मैं यह नहीं बता सकता कि थाना से रवानगी व आमदगी की रिपोर्ट के संबंध में दस्तावेज पत्रावली पर है या नहीं, इस बारे में थानेदार जी ही बता सकते है। हम कलेक्ट्रेट कितने बजे पहुँचे थे, समय मुझे ध्यान नहीं है। हमे कलेक्ट्रेट पर समय लगा था पर कितना समय लगा था, आज मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि कलेक्ट्रेट में काफी भीड रहती है और वहाँ पर काफी कर्मचारी कार्य करते हैं। मेरे सामने आईओ ने स्वतंत्र गवाह बनाने हेतु कोई प्रयास नहीं किया था, अजखुद कहा कि मुझे गवाह बनने के लिये कहाँ था। यह कहना गलत है कि मैं कलेक्ट्रेट नही गया हूँ और मैंने प्रदर्श पी 09 पर हस्ताक्षर आईओ के कहने पर थाने में बैठकर ही कर दिये हो। प्रदर्श पी 09 किसकी कलमी में है, मुझे इस बारे में पता नहीं है।

गवाह पी.डब्ल्यू.–5 मुकेश ने मुख्य परीक्षण में कथन किए कि मैं दिनांक 13.05.2019 को निर्वाचन शाखा, कलेक्ट्रेट चूरू में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत था। उस रोज मैंने पुलिस कर्मियों को कलेक्ट्रेट साहब के कहने पर निर्वाचन से संबंधित दस्तावेज सौंपे थे। उक्त दस्तावेज लेने के पश्चात प्रदर्श पी 09 बनायी थी, जिस पर ई से एफ स्थान पर मेरे हस्ताक्षर करवाये गये थे।

अभियुक्त की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि कलेक्ट्रेट साहब ने मेरे को उक्त दस्तावेज पुलिस कर्मियों को सौंपे जाने बाबत मार्किंग करके दी थी। यह कहना सही है कि उक्त मार्किंग वाला दस्तावेज न तो आज मैं साथ लेकर आया हूँ और ना ही पत्रावली पर है और ना ही हमारे कार्यालय पर है। यह कहना सही है कि दस्तावेज सौंपने के सबंध में कलेक्टर साहब के आदेश की प्रति न तो मैं आज साथ लेकर आया हूँ और ना ही पत्रावली पर मौजूद है। मैं उस समय निर्वाचन शाख में कनिष्ठ शाखा के पद पर कार्यरत था। मैं नहीं बता सकता कि निर्वाचन शाखा में उस समय मेरे अलावा कितने एलडीसी कार्यरत थे। मैं जिन दस्तावेजों को देना बता रहा हूँ, उक्त दस्तावेज मेरे कब्जे में नहीं थे। उक्त दस्तावेज तत्समय किसके कब्जे में थे, मैं नहीं बता सकता हूँ। तत्समय कलेक्टर, महोदय कौन थे, आज मुझे याद नहीं है। उक्त दस्तावेज लिफाफे में थे, उन दस्तावेजों पर मार्किंग की हुयी थी या नहीं मुझे पता नहीं है. अजखुद कहा कि दस्तोवज लिफाफे में जैसे थे, उसी हालत में मैंने उक्त दस्तावेज पुलिस कर्मियों को दे दिये थे। यह कहना सही है कि उक्त लिफाफे में क्या–क्या दस्तावेज थे और कितने दस्तावेज थे, इस बारे में मुझे ध्यान नहीं है। प्रदर्शपी 09 किसने तैयार की थी. मुझे पता नहीं है। प्रदर्श पी 09 कलेक्ट्रेट के किसी बाबू ने तैयार की थी या किसी पुलिस वाले ने तैयार की, मुझे पता नहीं है। यह कहना सही है कि

प्रदर्श पी 09 पर मैंने उच्चधिकारी के कहने से हस्ताक्षर किये थे। प्रदर्श पी 09 पर क्या लिखा है, मुझे ध्यान नहीं है।

गवाह पी.डब्ल्यू.–6 रामनारायण ने मुख्य परीक्षण में कथन किए किमैं अप्रैल 2019 में थानाधिकारी के पद पर पुलिस थाना सदर चूरू में पदस्थापित था। इसी दौरान मुझे एफआईआर नम्बर 17/2019 पुलिस थाना कोतवाली चूरू का अनुसंधान पूर्व अनुसंधान अधिकारी श्री गणेश कुमार धानाधिकारी सदर चूरू से प्राप्त हुआ था। पूर्व अनुसंधान अधिकारी द्वारा अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 193, 120बी भा.द.स में अपराध प्रमाणित मान रखे थे। मेरे द्वारा दौराने अनुसंधान दिनांक 13.05.2019 को प्रदर्श पी 09 फर्द जप्ती के माध्यम से जिला निर्वाचन शाखा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय चूरू से कुल 24 पृष्ठ व दस्तावेज जप्त किये थे, जिनका विवरण प्रदर्श पी 09 में अंकित किया हुआ है। उक्त दस्तावेजात निवार्चन शाखा के एलडीसी श्री मुकेश शर्मा के द्वारा मेरे समक्ष पेश किये गये थे, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 09 में रूबरू गवाहान सुरेन्द्र सिंह व धर्मपाल बनाये गये थे। प्रदर्श पी 09 पर जी से एच स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है व ए से बी, सी से डी, ई से एफ गवाहान व मुकेश कुमार के हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा दौराने अनुसंधान संयुक्त शासन सचिव विधि ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग से पत्र दिनांकित 16.05.2019 के माध्यम से निर्वाचनों में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता बाबत प्रावधान व मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय व बोर्ड की सूची प्राप्त की गयी थी, जो कुल 1 से 16 तक के पृष्ठ में सयुक्त शासन सचिव विधि द्वारा प्रमाणित करके पेश की गयी थी, जिसे मैंने शामिल पत्रावली किया। उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी 11 है, जिस पर ए से बी भाग में मूल पत्र मय दस्तावेज शामिल किये जाने का पृष्ठांकन व मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा दौराने अनुसंधान दिनाक 19.05.2019 को प्रकरण के मुल्जिम हरलाल सिंह को रूबरू गवाहान के समक्ष गिरफतार कर फर्द गिरफतारी एवं जमा तलाशी प्रदर्श पी 10 बनायी गयी थी, जिस पर ए से बी स्थान पर गवाह सुरेन्द्र सिंह, सी से डी स्थान गवाह चेतन प्रकाश व ई से एफ स्थान पर मुल्जिम हरलाल व जी से एच स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा अभियुक्त हरलाल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 193 व 120 बी भा.द.स में अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् एसपी साहब चूरू के कार्यालय में भिजवायी गई जिला पुलिस अधीक्षक जिला चूरू के आदेश से न्यायालय में आरोप पत्र थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत आरोप पत्र प्रदर्श पी 12 है, जिस पर अनुसंधान अधिकारी के रूप में ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है व सी से डी स्थान पर थानाधिकारी कोतवाली चूरू नरेश कुमार गेरा के हस्ताक्षर है, जो मैं साथ काम करने के कारण पहचानता हूँ। वर्तमान में श्री नरेश कुमार गेरा का देहान्त हो चुका है।

अभियुक्त की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि आज मुझे याद नहीं है कि मेरे अन्वेषण में यह आया था या नहीं कि डिप्टी राजगढ द्वारा समीक्षा हेतु श्री नरेश कुमार गेरा थानाधिकारी कोतावली चूरू के लिये कुछ बिन्दु निर्धारित किये गये थे या नहीं। यह कहना सही है कि पूर्व अनुसंधान अधिकारी श्री गणेश कुमार जी ने प्रदर्श पी 09 में वर्णित दस्तावेजात कीप्राप्ति से पूर्व ही अभियुक्त हरलाल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 193 व 120 बी भा.द.स. में अपराध प्रमाणित मान लिये थे। मुझे पता नहीं है कि इस पत्रावली सर्वप्रथम अन्वेषण नरेश कुमार गैरा ने किया था. अजखुद कहा कि मैं पत्रावली देखकर बता सकता हूँ। यह सही है कि गणेश कुमार जी को अभियुक्त हरलाल द्वारा क्या–क्या दस्तावेजात दिये गये थे, इस बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, अजखुद कहा कि इस बारे में गणेश कुमार जी ही बता सकते है। प्रदेर्श पी 06 व 07 की मूल प्रतिलिपि अभियुक्त द्वारा श्री गणेश कुमार जी को दी गयी हो तो इस बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, गणेश कुमार जी ही बता सकते हैं। यह कहना गलत है कि अन्वेषण के समय अभियुक्त हरलाल सिंह की विरोधी पार्टी कांग्रेस का शासन होने के कारण मूल दस्तावेज गायब कर दिये गये हो। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 06 व 07 के मूल दस्तावेजात जानबुझकर पत्रावली में उच्चाधिकारीयों के दबाव के कारण संलग्न न किये गये हो। यह कहना भी गलत है कि इलेक्ट्रोनिक जांच में दस्तावेज प्रदर्श पी 06 व 07 सही पाये गये हो इस कारण से हमने शामिल पंत्रावली न किये हो। यह कहना भी गलत है कि प्रदर्श पी 10 के माध्यम से राजनीतिक दबाव व उच्चाधिकारीयों के दबाव के कारण मुल्जिम को गलत रूप से गिरफतार किया गया हो। प्रदर्श पी 09 से संबंधित दस्तावेजात प्राप्त करने के लिये मैंने विभाग को पत्र दिया था। गवाह ने पत्रावली का अवलोकन करके बताया कि मैंने जो विभाग को पत्र दिया था, वह पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है. परन्तु केस डायरी में उसका अकन है। यह कहना सही है कि उस पत्र में इस बात का अंकन था, कि मुझे पत्रावली के अवलोकन / अनुसंधान के संबंध में क्या–क्या दस्तावेजात चाहिये थे। तहरीर से संबंधित जो रिकॉर्ड प्राप्त हुआ उसका अंकन मैंने केस डायरी के संलग्न पत्र में किया है। चार्जशीट प्रदर्श पी 12 प्रकरण पुलिस थाना कोतवाली चूरू का होने के कारण प्रकरण में अंतिम नतीजा भी पुलिस थाना कोतवाली थानाधिकारी चूरू के द्वारा ही न्यायालय में पेश किया गया था। यह कहना गलत है कि मैंने जो समस्त तफतीश की वो औपचारिकता के रूप में उच्चाधिकारीयों के दबाव में की हो और कमी–पुर्ति के आशय से प्रदर्श पी 11 और प्रदर्श पी 09 तैयार किये हो।

गवाह पी.डब्ल्यू.–7 गणेश कुमार ने मुख्य परीक्षण में कथन किए कि जनवरी वर्ष 2019 में मैं पुलिस थाना कोतवाली चूरू में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थापित था। उस रोज दिनांक 25.01.2019 को एफआईआर नम्बर 17/2019

का अनुसंधान मुझे तत्कालीन धानाधिकारी श्री नरेश गेरा द्वारा सौंपा गया था। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट जरिये इस्तगाशा प्रदर्श पी 01 के माध्यम से न्यायालय के आदेश दर्ज हुयी थी। प्रदर्श पी 01 पर सी से डी स्थान पर कार्यवाही पुलिस होकर ई से एफ स्थान पर नरेश कुमार गेरा के हस्ताक्षर है. जो मैं साथ काम करने के कारण पहचानता हूँ। वर्तमान में नरेश कुमार गेरा का देहान्त हो चुका है। नेपाल चाक एफआईआर प्रदर्श पी 13 है, जिस पर ए से बी स्थान पर नरेश कुमार गेरा थानाधिकारी तहरीर पुलिस थाना कोतवाली के हस्ताक्षर है। प्रकरण दर्ज होने के बाद मैंने परिवादी चिमनाराम से किया। अनुसंधान कर उसके बयान उसके कथनानुसार लेखबद्ध किये तथा गवाह श्रीमती अर्चना सिंह प्रकरण आईएएस के बयान भी उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर नय में चूरु द्वारा सचिव उतराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल को पत्र लिखकर सूचना बपचारिका चाही गयी थी, जिस पर सूचना प्राप्त हुयी थी, जो प्रदर्श पी 14 है. जिस पर ए से बी भाग में उक्त पत्र को शामिल पत्रावली करने का नोट अंकित होकर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा निर्वाचन शाखा कलेक्ट्रेट से नामांकन निर्देशन पत्र की प्रमाणित प्रति जरिये डाक प्राप्त की गयी थी, जिसे मैंने अनुसंधान पत्रावली में शामिल किया था। आरोपी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दिये निर्देशानुसार मेरे समक्ष उपस्थित हुये तथा मेरे द्वारा आरोपी से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार पूछताछ नोट तैयार कर अनुसंधान किया गया। इसी दौरान मेरा स्थानान्तरण होने के कारण पत्रावली वास्ते अग्रिम अनुसंधान हेतु श्री रामनारायण उपनिरीक्षक को सौंप दी गयी थी।

अभियुक्त की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि अभियुक्त हरलाल ने मेरे अनुसंधान में इस तथ्य का जिक नहीं किया कि अभियुक्त द्वारा पेश की गयी अंकतालिका व प्रमाण पत्र फर्जी हो। मैंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश के अनुसार अभियुक्त से जो पूछताछ की थी, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को उस पूछताछ के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी थी, अजखुद कहा कि मेरा स्थानान्तरण हो चुका था। यह कहना गलत है कि गलत है कि इस्तगाशा प्रदर्श पी 01 दिनाक 15.01.2019 से पहले अभियोगी ने थाने में अभियुक्त के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवायी हो और थानाधिकारी ने लेने से मना कर दिया हो। मुझे याद नहीं है कि अभियोगी ने इस संबंध में एसपी साहब चूरू को भी प्रार्थना पत्र दिया हो। यह सही है कि प्रदर्श पी 1 में कार्यवाही पुलिस में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि अभियोगी द्वारा थाने में पेश की गयी रिपोर्ट व एसपी साहब चूरू को दी गयी दरख्वास्त इस इस्तगाशे के संलग्न पेश की हो। यह सही है कि वर्तमान में अगर कोई रिपोर्ट पेश की गयी हो और उस पर एफआईआर दर्ज होती हो तो उस एफआईआर की कॉपी या रिपोर्ट पेश करने पर उसकी रिसीव्ड देते है। यह सही है कि

सन 1973 से एफआईआर दर्ज होने पर एफआईआर की कॉपीअथवा रिसीप्ट देने का प्रावधान है। मुझे ध्यान नहीं है कि थानाधिकारी ने प्रदर्श पी 01 की कॉपी परिवादी को जरिये डाक भेजी थी या नहीं भेजी थी। प्रदर्श पी 01 की सी से डी भाग में कार्यवाही पुलिस में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि अभियोगी ने इस्तगाशे के साथ क्या–क्य दस्तावेजात पेश किये और वो इस्तगाशे के साथ आये थे या नहीं आये थे। मेरे पास करीब दो महीने इस पत्रावली की तफतीश रही थी। इस्तगाशा प्रदर्श पी 01 के जरिये जो एफआईआर दर्ज की गयी थी, उसको मेरे द्वारा दौराने अनुसंधान पढ़ा गया था। यह सही है कि इस्तगाशा प्रदर्श पी 01 की बिन्दु संख्या/पैरा संख्या 07 में अंकित तथ्य के हिस्सा के से ख में जो उल्लेखित है, उस संबंध में मैंने अलग से कोई जांच नहीं की है। यह सही है कि उक्त इस्तगाशे को करीब पौने चार साल बाद में पेश करने में जो विलम्ब हुआ, वो मेरे कारण नहीं हुआ था, इसके बारे में अभियोगी स्वयं ही बता सकता है। यह सही है कि दौराने अनुसंधान मैने प्रदर्श पी 06 व 07 का भी अवलोकन किया था। यह कहना गलत है कि मैंने अभियोगी की जबानी साक्ष्य के अलावा अन्य कोई साक्ष्य प्रदर्श पी 06 व 07 के फर्जी होने के संदर्भ में नहीं लिये हो। मैंने अलग से कोई इलेक्ट्रोनिक परीक्षण नहीं करवाया था। यह सही है कि पत्र प्रदर्श पी 14 जिस सचिव द्वारा मैं देना बता रहा हूँ, उस सचिव के कोई बयान मैंने नहीं लेखबद्ध किये थे। यह सही है कि प्रदर्श पी 14 सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद नैनीताल के लैटर पैड पर नहीं है। मैं पत्र लेने स्वयं गया था। मुझे याद नहीं है कि मेरे उतराखण्ड जाने के संबंध में मैंने कोई टीए/डीए प्राप्त करने का रिकॉर्ड पत्रावली पर पेश किया था अथवा नहीं। मैं रोजनामचा में रवानगी करके गया था और वापसी/आमदगी की प्रविष्टि भी की थी। यह कहना सही है कि रवानगी व आमदगी की प्रति पत्रावली पर संलग्न नहीं है। प्रश्नः– प्रदर्श पी 14 के बिन्दु संख्या 03 में अनुक्रमांक 1494335 निर्गत नहीं किये जाने का उल्लेख है, इस संदर्भ में ऐसा कोई रिकॉर्ड नही लिया कि हाई स्कुल परीक्षा वर्ष 2010 में किस रोल नम्बर से किस रोलनम्बर तक अनुक्रमांक जारी किये गये थे, इस बारे में आपको क्या कहना है? उत्तर– मेरे द्वारा अलग से यह रिकॉर्ड नहीं लिया गया था कि अन्य परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों का अनुक्रमांक कितने रोल नम्बर से कितने रोल नम्बर तक है। प्रदर्श पी 14 पर क से ख भाग में किस व्यक्ति के हस्ताक्षर है, उस व्यक्ति का नाम मुझे आज याद नहीं हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 14 और प्रदर्श पी 03 जारी करने वालों को हस्ताक्षर अलग–अलग व्यक्तियों के है। प्रदर्श पी 14 पर ए से बी भाग में शामिल पत्रावली किस दिनांक को किया गया था, इस बारे में दिनांक का उल्लेख नहीं है, अजखुद कहा कि मैंने दिनांक 22.03.2019 को ही पत्र प्रदर्श पी 14 शामिल पत्रावली कर दिया था। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 14 के तीनों बिन्दुओं पर मैंने अन्वेषण नहीं किया हो. अजखुद कहीं कि मैंने जो प्रश्न पूछे थे उन्ही प्रश्नों का जबाव प्रदर्श पी 14

के माध्यम से दिया था। मैंने प्रश्न लिखित में पूछे थे। गवाह ने पत्रावली देखकर बताया कि उक्त पत्र न्यायालय पत्रावली पर संलग्न नहीं है मैंने अलग से कोई ऐसी जप्ती तैयार नहीं की कि अभियोगी ने फर्जकारी से संबंधित कोई रिकॉर्ड मुझे दिया हो। यह सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से हमें ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ कि अभियुक्त के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जावे। यह कहना सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश से कोई एफआईआर दर्ज करने के आदेश की कॉपी एसपी साहब चूरू के माध्यम से हमें प्राप्त नहीं हयी। यह सही है कि मुझे जब प्रदर्शनी 14 दिया गया था, तब संयुक्त सचिव ने मुझे यह सूचना नहीं दी थी कि हमने अभियोगी को संपूर्ण जानकारी दे दी है। अभियोगी ने मुझे जैसे बयान दिये थे. वैसे ही मैंने अभियोगी के बयान दर्ज किये थे, जो भी अभियोगी के बयानों में उल्लेखित है. अगर अभियोगी ने कोई तथ्यबताये हो तो उनका उल्लेख बयान में नहीं होगा। यह सही है कि मैंने रजिस्ट्रार सहकारीया समिति उतराखण्ड से कोई अन्वेषण नहीं किया था कि प्रदर्श पी 06 में वर्णित स्कुल रजिस्ट्रार सहकारी समितियों में पंजीकृत है या नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने राजनीतिक दबाव में आकर गलत अनुसंधान किया हो।

11. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज परिवाद प्रदर्श पी 01 है, जो कि परिवादी चिमनाराम के द्वारा केवल मात्र एक अभियुक्त हरलाल सिंह के विरुद्ध पेश किया गया था, जिसके संबंध में परिवादी चिमनाराम न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित हुआ है तथा वह स्पष्ट रूप से मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि ''उसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, चूरू के समक्ष इस्तगासा पेश किया था, जो कि प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसका शपथ पत्र प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है, इस प्रकार अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने में सफल रहा है कि पूर्व में परिवादी चिमनाराम के द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी 01 के आधार पर हस्तगत प्रकरण संस्थित किया गया था तथा एफआईआर प्रदर्श पी 13 दर्ज की गयी थी।

जहां तक पत्रावली का अवलोकन किया जाए, तो उक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में लिखित परिवाद व पत्रावली में वर्णित घटनाक्रम के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अपराध जो कि अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्त हरलाल सिंह के विरुद्ध आरोपित किया गया है, वह धारा 467 भा.दं.सं. का अपराध है, इसके संबंध में धारा 467 भा.दं.सं. का अवलोकन किया गया, जो कि रेडी रेफरेंस के लिये नीचे उल्लेखित की जा रही हैः–

"जो कोई किसी ऐसा दस्तावेज की, जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति या विल या पुत्र के दत्तकग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अन्तरण का, या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का, या किसी धन, जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या परिदत्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्थित हो, अथवा किसी दस्तावेज को जिसका धन दिए जाने की अभिस्वीकृति करने वाला, निस्तारणपत्र या रसीद होना, या किसी जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के परिदान के लिए निस्तारणपत्र या रसीद होना तात्पर्थित हो, कूटरचना करेगा, वह [आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

धारा 467 भा.दं.सं. का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि धारा 467 भा.दं.सं. का अपराध साबित करने के लिये अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष को दो तथ्य साबित करने थे, सर्वप्रथम कि जिस तथाकथित दस्तावेजात की अभियुक्त के द्वारा कूटरचना की गयी है, वह मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी में आती हो तथा द्वितीय यह कि अभियुक्त के द्वारा उक्त दस्तावेजों की कूटरचना की गयी हो। कूटरचना के लिये अभियोजन पक्ष को धारा 463 भा.दं.सं. के अंदर निहित घटकों को संदेह से परे साबित करना था। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करना होता है। अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष की रही हुयी कमियों का प्रयोग अपने लाभ के लिये नहीं कर सकता है। इसके संबंध में धारा 463 भा.दं.सं. का अवलोकन किया गया, जो कि रेडी रेफरेंस के लिये नीचे उल्लेखित की जा रही हैः–

जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है, कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे, या कपट किया जा सके, वह कूट रचना करता है।

धारा 463 भा.दं.सं. के प्रथम दृष्टया विवेचन मात्र से यह स्पष्ट है कि धारा 463 भा.दं.सं. में यह प्रावधान है कि ''जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रोनिक भाग को इस आशय से रचता है'', तो कूटरचना के लिये सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि जिस भी अभियुक्त पर कूटरचना का आरोप है, उसके विरुद्ध अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करे कि तथाकथित मिथ्या दस्तावेज की रचना अभियुक्त के द्वारा की गयी है। मिथ्या दस्तावेज की रचना के प्रकार धारा 464 भा.दं.सं. में बताये गये हैं, इसके संबंध में धारा 464 भा.दं.सं. का अवलोकन किया गया, जो कि रेडी रेफरेंस के लिये नीचे उल्लेखित की जा रही है:–

उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख रचता है–

पहला जो बेईमानी से या कपटपूर्वक इस आशय से–

(क) किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है;

(ख) किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख को या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के भाग को रचित या सम्प्रेषित करता है;

(ग) किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख पर कोई इलेक्ट्रानिक चिह्नक करता है;

(घ) किसी दस्तावेज का निष्पादन या इलेक्ट्रानिक चिह्नक की प्रमाणिकता द्योतन करने वाला कोई चिन्ह लगाता है,

कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग, इलेक्ट्रानिक अभिलेख या [इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक] की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, सम्प्रेषण या संयोजन ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन या निष्पादन, सम्प्रेषण या संयोजन न होने की बात वह जानता है;

दूसरा जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन, उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के रचित, निष्पादित या [इलेक्ट्रानिक चिह्नक) से संयोजित किये जाने के पश्चात् उसे रद्द

करने द्वारा या अन्यथा, विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है;

तीसरा जो किसी व्यक्ति द्वारा, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की विषयवस्तु को परिवर्तन के रूप को, चित्तविकृति या मत्तता की हालत में होने के कारण जान नहीं सकता या उस प्रवंचना के कारण, जो उससे की गई है, जानत्ता नहीं है, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख को बेईमानी से, या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तित किया जाना या इलेक्ट्रानिक अभिलेख पर अपने इलेक्ट्रानिक चिहक किया जाना कारित करता है।

धारा 464 भा.दं.सं. के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि किसी भी मिथ्या दस्तावेज की रचना तीन प्रकार से हो सकती है, जहां तक हस्तगत प्रकरण का प्रश्न है, तो हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर जो मूल रूप से जो आरोप लगाया गया है, वह यह है कि अभियुक्त ने जनवरी 2015 को जिला क्षेत्र, चूरू के निर्वाचन क्षेत्र 16 से जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर जिला परिषद सदस्य, निर्वाचन, चूरू के समक्ष नोमिनेशन फॉर्म भरा, उस समय जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिये राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव वर्ष 2015 में शेक्षणिक योग्यता कम से कम 10 उतीर्ण होना रखी गयी थी, जिसके लिये अभियुक्त हरलाल सिंह ने अपनी शेक्षणिक योग्यता के प्रमाण स्वरूप अपने नाम की अंकतालिका हाई स्कूल परीक्षा 2010 अनुक्रमांक 1494335 उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, विद्यालय एच.ए.एस.एस. स्कूल ऋषिकेश की व उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, हाई स्कूल परीक्षा 2010 उर्तीण करने का प्रमाण पत्र क्रमांक 1141562 पेश किया। अभियुक्त पर मूल रूप से यह आरोप है कि अभियुक्त के द्वारा जो अंकतालिका व प्रमाण पत्र जो अपनी शेक्षणिक योग्यता के बाबत पेश किये गये थे, वे कूटरचित थे, इसके संबंध में परिवाद पत्र का अवलोकन किया जाए, तो इसके संबंध में परिवादी के द्वारा कूटरचना का जो मूल आधार बताया गया है, वह यह बताया गया है कि मुलजिम हरलाल सिंह ने अन्य अज्ञात व्यक्तियों से मिलकर व साजकर साजिशाना तरीके से कम्प्यूटर व अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण की सहायता से किसी अन्य व्यक्ति की अंकतालिका व प्रमाण पत्र में से उसका नाम पता, पिता का नाम, सन व स्कूल का नाम आदि हटाकर अपना स्वयं का विवरण स्केन कर मिथ्या अंकतालिका व प्रमाण पत्र की कूटरचना की। इसलिये अभियुक्त के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं, वे न्यायालय के विनम्र मत में धारा 464 भा.दं.सं. में कूटरचना के जो मूल रूप से तीन आधार बताये गये हैं, उसमें

से प्रथम अथवा द्वितीय भाग की श्रेणी में आते हैं। प्रथम भाग में जहां कूटरचना के लिये अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि अभियुक्त के द्वारा बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण आशय से किसी दस्तावेज को अथवा किसी दस्तावेज के भाग को रचित, हस्तांक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित यह जानते हुये किया गया है, जिससे कि यह विश्वाश किया जाए कि ऐसे किसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग की रचना, हस्तांक्षरण, मुद्रांकरण या निष्पादन, संप्रेषण एवं संयोजन ऐसे व्यक्ति द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार के द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा या उसके प्राधिकार के द्वारा उसकी रचना, हस्तांक्षरण, मुद्रांकरण या निष्पादन, संप्रेषण एवं संयोजन नहीं होने की बात वह जानता है। इसके संबंध में यदि परिवाद पत्र का अवलोकन किया जाए, तो परिवाद में मूल रूप से अभियुक्त पर कूटरचना का आधार कम्प्यूटर व अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अंकतालिका व प्रमाण पत्र में उसका नाम, पिता का नाम, सन व स्कूल का नाम आदि हटाकर स्वयं का विवरण स्केन करने का लगाया गया है। अभियुक्त के द्वारा किसी भी प्रकार से तथाकथित रूप से मार्कशीट व प्रमाण पत्र पर हस्तांक्षरण अथवा मुद्रांकन आदि इस आशय से किया गया हो, कि किसी अन्य को यह विश्वास दिलाया जा सके, कि यह ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार के द्वारा किया गया हो, जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार के द्वारा इसकी रचना व हस्तांक्षरण आदि नहीं करने की बात वह जानता हो, ऐसा आरोप नहीं लगाया गया है, ना ही ऐसा ओराप परिवादी के द्वारा लगाया गया है कि अभियुक्त ने दस्तावेज मर्कशीट व प्रमाण पत्र पर जारीकर्ता अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर किये हो।

अभियुक्त के उपर जो परिवादी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, उससे प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि उक्त आरोप धारा 464 भा.दं.सं. के जो द्वितीय भाग है, उसके अधीन आना दर्शित होता है, जिसमें मूल रूप से किसी भी दस्तावेज की कूटरचना करना तब माना जाता है, जब उक्त दस्तावेज या इलेक्ट्रोनिक दस्तावेज के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस दस्तावेज या उस इलेक्ट्रोनिक अभिलेख के रचित, निष्पादित या संयोजित किये जाने के पश्चात उसे रद्द करने अन्यथा विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण किया गया हो। इसलिए हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि तथाकथित अंकतालिका व प्रमाण पत्र में अभियुक्त के द्वारा कम्प्यूटर अथवा अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति से मिलकर उसका नाम, पिता का नाम, सन व स्कूल का नाम आदि के तात्विक भाग में बेईमानीपूर्ण व कपटपूर्ण आशय से बिना अधिकारित के परिवर्तन किया गया। इसके संबंध में यदि पत्रावली का अवलोकन किया जाए, तो पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त पर जिस अंकतालिका व

प्रमाण पत्र की कूटरचना के आरोप लगाये गये है, उनकी फौटोप्रतियां प्रदर्श पी 06व 07 के रूप में अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रदर्शित करवाये गये हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मूल दस्तावेज अंकतालिका व प्रमाण पत्र दौराने अनुसंधान ना ही तो अभियुक्त से जप्त किये गये हैं, ना ही पत्रावली पर पेश किये गये हैं। अभियुक्त के विरुद्ध जो कूटरचना का आधार परिवादी के द्वारा बताया गया है, उसे साबित करने के लिये सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि तथाकथित रूप से जिस अंकतालिका व प्रमाणपत्र की कूटरचना कम्प्यूटर आदि के प्रयोग से करना बताया गया है व उस पर अपना नाम आदि अभियुक्त के द्वारा टंकित करना बताया गया है, तो उक्त मार्कशीट व प्रमाण पत्र यदि प्रारंभ में किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से जारी की गयी होती तथा बाद में अभियुक्त के द्वारा उसमें परिवर्तन किया गया होता, तो पूर्व में वह मार्कशीट व प्रमाणपत्र किस अभ्यर्थी को जारी किये गये, यह तथ्य साबित करने थे, परंतु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस बाबत कोई भी अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है। अनुसंधान अधिकारी के द्वारा अपने अनुसंधान में ऐसे कोई भी तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं रखे गये है, जिससे कि यह स्पष्ट होता हो कि उक्त अनुक्रमांक 1494335 की मार्कशीट उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद के द्वारा किसी अन्य को जारी की गयी हो, जिसका नाम हटाकर अभियुक्त के द्वारा अपना नाम लिखा गया हो। यहां पर यह स्पष्ट है कि पूर्व में परिवादी के द्वारा केवल मात्र अभियुक्त हरलाल के विरुद्ध ही प्रकरण दर्ज करवाया गया था। परिवादी के द्वारा जहां एक ओर अपने परिवाद में यह आरोप लगाये गये हैं कि अभियुक्त ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अंकतालिका व प्रमाण पत्र की कूटरचना की। उन अन्य व्यक्तियों के बाबत पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि जब पुलिस के द्वारा अभियुक्त हरलाल के विरुद्ध चालान पेश किया गया, तो माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, चूरू के द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें धारा 173 (8) दं.प्र.सं. के तहत उन व्यक्तियों के बाबत जिनके द्वारा अभियुक्त हरलाल सिंह के साथ मिलकर दस्तावेज की कूटरचना करना बताया गया था, उनके बाबत अनुसंधान पूर्ण करने का आदेश दिया गया, जिस आदेश के विरुद्ध अभियुक्त हरलाल के द्वारा एक रिट याचिका पेश की गयी, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.02.2020 को श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश के द्वारा धारा 173 (8) दं.प्र.सं. के तहत अग्रिम अनुसंधान करने की सीमा तक के आदेश को स्थगन किया गया व उसके उपरांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 11.09.2023 के द्वारा हस्तगत प्रकरण से संबंधित स्थगन याचिका व सभी लंबित याचिकाओं का निस्तारण करते हुये रिवीजन याचिका खारिज कर दी गयी, जिसके उपरांत पुलिस के द्वारा धारा 173 (8) दं.प्र.सं. में अग्रिम अनुसंधान करते हुए अंतिम

रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी कि **"अतः 173 (8) दं.प्र.सं. पत्रावली में तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान् जी की सेवा में पेश कर निवेदन है कि मुकदमा हाजा में अन्य किसी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं होने तथा अन्य किसी व्यक्ति शरीक जुर्म नहीं होने के कारण अनुसंधान बंद किया जाता है,"** जिसमें पुलिस के द्वारा मुल रूप से यह आधार बताया गया कि मुकदमा हाजा कि धारा 173 (8) दं.प्र.सं. की पत्रावली दिनांक 23.02.2024 को श्री बलवंत सिंह उपनिरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना, सदर, जिला चूरू को प्राप्त हुयी, जिनके द्वारा अन्य व्यक्ति की तलाश हर संभव की गयी। मगर अभियुक्त के द्वारा अनुसंधान के दौरान दिये गये तथ्यों के अनुसार पुष्टि नहीं होने के कारण एवं पूर्व अनुसंधान अधिकारी के द्वारा कूटरचित दस्तावेज मूल मार्कशीट को भी जप्त नहीं किया गया। उक्त मार्कशीट किस व्यक्ति के द्वारा व कहां तैयार की गयी, इस संबंध में पूर्व अनुसंधान अधिकारी व चार्जशीट कर्ता अधिकारी श्री नरेश कुमार द्वारा कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं लिये। मन थानाधिकारी द्वारा गहन अनुसंधान करने के उपरांत व अभियोग दर्ज हुये काफी समय होने से अन्य व्यक्ति द्वारा कूटकरण मार्कशीट अभियुक्त को दिये जाने के तथ्य चार्जशीट में अंकित है, परंतु उक्त तथ्यों की पुष्टि किसी भी गवाह व अन्य किसी भी साक्षी से होना संभव नहीं है। आगे अनुसंधान अधिकारी अपनी धारा 173 (8) दं.प्र.सं. की रिपोर्ट में इस तथ्य का भी अंकन करता है कि अभियुक्त को कम्प्यूटर चलाने व कम्प्यूटर का ज्ञान भी नहीं है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त के द्वारा फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार किया जाना संभव नहीं है। आगे धारा 173 (8) दं.प्र.सं. की रिपोर्ट में इस तथ्य का भी अंकन किया गया है कि पूर्व अनुसंधान अधिकारी द्वारा किस व्यक्ति द्वारा कहां कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गये हैं, के संबंध में कोई तथ्य नहीं है। अभियुक्त द्वारा किसी को भी बेईमानी से प्रवंचित कर धोखा देना नहीं पाया गया है। मुस्तगिस चिमनाराम द्वारा जिला परिषद सदस्य वार्ड सं. 16 में किसी भी प्रकार का आवेदन करना नहीं पाया गया है। इस प्रकार मुस्तगिस के साथ धोखाधड़ी होना नहीं पायी गयी है।

इसके संबंध में यदि पत्रावली का अवलोकन किया जाए, तो पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 23.09.2025 को धारा 173 (8) दं.प्र.सं. के संबंध में उक्त क्लोजर रिपोर्ट उक्त प्राप्त हुयी, उक्त रिपोर्ट श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश दिनांक 08.09.2025 की पालना में न्यायालय को प्राप्त हुयी, जो कि दिनांक 23.09.2025 को शामिल पत्रावली की गयी, उसके उपरांत परिवादी के द्वारा धारा 190 दं.प्र.सं. व अंतर्गत धारा 210 बीएनएसएस के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें परिवादी चिमनाराम के द्वारा मूल रूप से यह आधार उठाये गये है कि अभियुक्त हरलाल सिंह ने अन्य तथाकथित व्यक्ति गोवर्धन सिंह पूनिया तत्कालीन निर्देशक मूंगी देवी आई टी कॉलेज बीकाउ रोड़ चूरू के साथ मिलकर

दस्तावेज की कूटरचना की, परंतु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 06.12.2025 में यह स्पष्ट किया है कि परिवादी के द्वारा उक्त गोवर्धन सिंह पूनिया अथवा अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद प्रदर्श पी 01 व न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा में कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये थे, ना ही उक्त व्यक्तियों की संलिप्तता के बाबत पुलिस ने दौराने अनुसंधान किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य एकत्रित की है। जिस पर न्यायालय के द्वारा परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 190 दं.प्र.सं. व 210 बीएनएसएस दिनांक 08.10.2025 खारिज किया गया व पुलिस के द्वारा प्रस्तुत धारा 173 (8) दं.प्र.सं. की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट है कि तथाकथित अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की आरोपित अपराध में संलिप्तता अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया है। पत्रावली का अवलोकन करने से यह भी स्पष्ट है कि दौराने अनुसंधान किसी भी प्रकार के कोई कम्प्यूटर उपकरण आदि जिसके द्वारा तथाकथित रूप से कूटरचना करना बताया गया है, भी अनुसंधान अधिकारी के द्वारा जप्त नहीं किया गया है। इस स्थिति में अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य हो जाती है, जो कि न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू 07 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिससे उक्त तथ्यों बाबत बचाव पक्ष द्वारा स्पष्ट जिरह की गयी है, जिरह के दौरान गवाह कथन करता है कि ''यह कहना सही है कि अभियुक्त हरलाल ने मेरे अनुसंधान में इस तथ्य का जिक्र नहीं किया कि अभियुक्त द्वारा पेश की गयी अंकतालिका व प्रमाण पत्र फर्जी हो।'' आगे वह यह कथन करता है कि ''यह सही है कि इस्तगाशा प्रदर्श पी 01 की बिन्दु संख्या/पैरा संख्या 07 में अंकित तथ्य के हिस्सा क से ख में जो उल्लेखित है, उस संबंध में मैंने अलग से कोई जांच नहीं की है। यह सही है कि उक्त इस्तगाशे को करीब पौने चार साल बाद में पेश करने में जो विलम्ब हुआ, वो मेरे कारण नहीं हुआ था, इसके बारे में अभियोगी स्वयं ही बता सकता है। मैंने अलग से कोई इलेक्ट्रोनिक परीक्षण नहीं करवाया था।'' जहां तक प्रदर्श पी 06 व 07 के संबंधित स्कूल में तत्समय अध्ययनरत विधार्थीयों से किसी भी प्रकार का कोई अनुसंधान किया गया हो या उनकी कोई साक्ष्य लेखबद्ध की गयी हो, ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, इसके संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 07 गणेश कुमार स्वयं कथन करता है कि ''यह सही है कि मैंने रजिस्ट्रार सहकारीया समिति उत्तराखण्ड से कोई अन्वेषण नहीं किया था, कि प्रदर्श पी 06 में वर्णित स्कूल रजिस्ट्रार सहकारी समितियों में पंजीकृत हैं या नहीं।'' अन्य अनुसंधान अधिकारी रामनारायण जो कि पी.डब्ल्यू 06 के रूप में परीक्षित हुये है, उनसे जब मूल दस्तावेजों को जप्त किये जाने व अनुसंधान के बाबत जिरह में प्रश्न किये गये, तो वह जिरह में यह कथन करते हैं कि '' यह कहना सही है कि पूर्व अनुसंधान अधिकारी श्री गणेश कुमार जी ने प्रदर्श पी 09

में वर्णित दस्तावेजात की प्राप्ति से पूर्व ही अभियुक्त हरलाल के विरुद्ध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 193 व 120बी भा.दं.सं. में अपराध प्रमाणित मान लिये थे।'' इस प्रकार जहां अभियुक्त के विरुद्ध किसी दस्तावेज की कूटरचना के आरोप हो और वहां स्वयं अनुसंधान अधिकारी इन तथ्यों को स्वीकार करता है कि दस्तावेजात की जप्ती से पूर्व ही अभियुक्त के विरुद्ध अपराध तथाकथित पूर्व के अनुसंधान अधिकारी के द्वारा मान लिया गया था, तो उपरोक्त तथ्य स्वतः ही अनुसंधान अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान में संदेह उत्पन्न करते हैं व अनुसंधान दूषित होना दर्शित करते हैं, जो कि अभियोजन की संपूर्ण कहानी को संदेहास्पद कर देती हैं।

इसके अतिरिक्त परिवाद पत्र का अवलोकन किया जाए, तो परिवाद पत्र में एक अन्य आधार यह भी उठाया गया है कि मुलजिम हरलाल सिंह ने वर्ष 2008 में चूरू निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उसमें अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ एक शपथ पत्र पेश किया था, जिसमें अपना नाम हरलाल सहारण, पुत्र मोहनराम व उम्र 45 वर्ष लिखी है तथा ऊपर वर्णित अंकतालिका क्रमांक 1494335 उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद वर्ष 2010 में व प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद वर्ष 2010 में अपना नाम हरलाल सिंह पुत्र मोहनलाल व जन्म तिथि 06.05.1969, आयु 45 वर्ष लिखी है, इससे यह प्रमाणित है कि उक्त वर्णित अंकतालिका व प्रमाणपत्र कूटरचित व जाली है। इसके संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए, तो परिवादी जब न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है, तो उसके द्वारा मुलजिम हरलाल सिंह के वर्ष 2008 में चूरू के निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव के दौरान भरे गये निर्देशन पत्र को ना तो पेश किया गया है व ना ही प्रदर्शित करवाया गया है। ऐसा कोई दस्तावेज पुलिस के द्वारा भी दौराने अनुसंधान जप्त कर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। इस स्थिति में जो अन्य कूटरचना का आधार परिवादी के द्वारा बताया गया है, वह भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पत्रावली पर कोई एफएसएल रिपोर्ट अथवा अन्य कोई वैज्ञानिक प्रमाण पत्रावली पर मौजूद नहीं है, जिससे कि अंतिम रूप से इस निर्णय पर पहुंचा जा सके, कि तथाकथित जप्तशुदा दस्तावेज प्रदर्श पी 06 व 07 के अंतर्निर्हित विषयवस्तु को अभियुक्त के द्वारा अन्य किसी व्यक्ति के साथ मिलकर परिवर्तीत किया गया हो अथवा पूर्व में किसी अन्य मार्कशीट पर अभियुक्त के द्वारा अन्य किसी व्यक्ति के साथ मिलकर अपना नाम आदि लिखकर मार्कशीट व शपथ पत्र की कूटरचना की गयी हो। इसके संबंध में आगे पत्रावली का अवलोकन किया जाए, तो पुलिस के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के लिये जो एकमात्र आधार माना गया है, वह यह है कि मुलजिम हरलाल सिंह के द्वारा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर से जारी हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2010 की

अंकतालिका अनुक्रमांक 1494335 को सही होना नहीं माना है, जो सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल) के पत्रांक उ.वि.शि.प./ हाई.अभि./4564/2018–19, दिनांक 22 मार्च 2019 से साबित है कि मुलजिम हरलाल सिंह द्वारा नाम निर्देशन के समय जो सूचना नाम निर्देशन फार्म में अपनी अपनी शिक्षा के संबंध में अंकित की गयी है, वह गलत व फर्जी (कूटरचित) दस्तावेज है। इस स्थिति में पुलिस के द्वारा प्रस्तुत चालान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पुलिस के द्वारा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध केवल मात्र इस आधार पर माना है कि सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) को जब 22 मार्च 2019 को पत्र प्रदर्श पी 14 जारी किया गया, तो उसमें तीन बिन्दुओं के बाबत सूचना संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) द्वारा दी गयी, जो कि इस प्रकार से हैः–

1. हाईस्कूल परीक्षा 2010 अनुक्रमांक 1494335 प्रमाण पत्र क्रमांक 12133845 हरलाल सिंह सहारण पुत्र श्री मोहन लाल सहारण, जन्मतिथि 06–05–69, विद्यालय होली एंजेल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल ऋषिकेश का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।

2. हाईस्कूल परीक्षा 2010 का परीक्षा परिणाम 29–05–2010 को जारी किया गया है।

3. हाईकूल परीक्षा 2010 के अनुक्रमांक 1494335 का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है. इसलिये प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है।

पुलिस के द्वारा प्रस्तुत चालान प्रदर्श पी 12 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पुलिस के द्वारा अपने अंतिम चालान में इस तथ्य का कोई अंकन नहीं किया गया है कि दिनांक 22.03.2019 को सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) कौन अधिकारी कार्यरत थे, पुलिस के द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त अधिकारी के ना ही तो कोई बयान लिये गये है, ना ही पुलिस के द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज दौराने अनुसंधान जप्त किये गये है, जिसके आधार पर सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) के द्वारा प्रदर्श पी 14 में दी गयी सूचना तैयार की गयी थी, इसके संबंध में अनुसंधान अधिकारी से जिरह की गयी है। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 07 जिरह में यह कथन करता है कि "यह सही है कि पत्र प्रदर्श पी 14 जिस सचिव के द्वारा मैं देना बता रहा हूं, उस सचिव के कोई बयान मैंने नहीं लेखबद्ध किये थे। यह सही है कि प्रदर्श पी 14 सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) के लैटर पेड पर नहीं है। मैं पत्र लेने स्वयं गया था।

मैं राजनामचा व रवानगी करके गया था और वापसी/आमदगी की प्रविष्टि भी की थी। यह कहना सही है कि रवानगी व आमदगी की प्रति पत्रावली पर संलग्न नहीं की है।" आगे जब गवाह से जिरह में यह प्रश्न पूछा गया है कि **"प्रश्नः– प्रदर्श पी 14 के बिन्दु संख्या 03 में अनुक्रमांक 1494335 निर्गत नहीं किये जाने का उल्लेख है, इस संदर्भ में ऐसा कोई रिकॉर्ड नही लिया कि हाई स्कुल परीक्षा वर्ष 2010 में किस रोल नम्बर से किस रोलनम्बर तक अनुक्रमांक जारी किये गये थे, इस बारे में आपको क्या कहना है? उत्तर– मेरे द्वारा अलग से यह रिकॉर्ड नहीं लिया गया था कि अन्य परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों का अनुक्रमांक कितने रोल नम्बर से कितने रोल नम्बर तक है।"** आगे गवाह यह कथन करता है कि "प्रदर्श पी 14 पर क से ख भाग में किस व्यक्ति के हस्ताक्षर है, उस व्यक्ति का नाम मुझे याद नहीं है। प्रदर्श पी 14 पर ए से बी भाग में शामिल पत्रावली किस दिनांक को किया गया था, इस बारे में दिनांक का उल्लेख नहीं है।" आगे गवाह यह कथन करता है कि "यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 14 के तीनों बिन्दुओं पर मैंने अन्वेषण नहीं किया हो, अजखुद कहा कि मैंने जो प्रश्न पूछे थे, उन्हीं प्रश्नों पर जवाब प्रदर्श पी 14 के माध्यम से दिया था। मैंने प्रश्न लिखित में पूछे थे। गवाह ने पत्रावली देखकर बताया कि उक्त पत्र न्यायालय पत्रावली पर संलग्न नहीं हैं। मैंने अलग से कोई ऐसी जप्ती तैयार नहीं की कि अभियोगी ने फर्जकारी से संबंधित कोई रिकॉर्ड मुझे दिया हो।" उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पुलिस के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध जो यह आरोप संस्थित किये गये हैं कि उसके द्वारा अंकतालिका व प्रमाण पत्र की कूटरचना की गयी है व जिसका आधार केवल मात्र यह बताया गया कि सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) के द्वारा उनको जरिये प्रदर्श पी 14 यह सूचना दी गयी कि उक्त अंकतालिका व प्रमाण पत्र उक्त कार्यालय से निर्गत नहीं किये गये हैं। इस स्थिति में न्यायालय के विनम्र मत में कि संबंधित कार्यालय में क्रमांक 1494335 की अंकतालिका व प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये हो। यह तथ्य किन दसतावेजों व रिकोर्ड के माध्यम से जरिये प्रदर्श पी 14 के द्वारा दिया गया यह तथ्य साबित करने के लिये सबसे महत्वपूर्ण गवाह प्रदर्श पी 14 को जारी करने वाले तत्समय सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) थे, परंतु पुलिस के द्वारा ना ही तो उनसे कोई अनुसंधान करने की साक्ष्य लेखबद्ध की गयी है, नाही उन्हें साक्ष्य सूची में रखा गया है। यह भी विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार को किसी भी तथ्य को साबित करने के लिये बेस्ट ऐवीडेंस न्यायालय के समक्ष पेश करनी चाहिए। इस स्थिति में न्यायालय धारा 114(G) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत यह उपधारणा करने के लिये भी स्वतंत्र है कि "यदि वह साक्ष्य जो पेश किया जा सकता था और पेश नहीं किया गया है, पेश किया जाता, तो उस व्यक्ति के प्रतिकूल होता, जो उसका विधान किये हुवे है। यह विधि का सुस्थापित

सिद्धांत है कि केवल मात्र दस्तावेज को प्रदर्शित करवाये जाने से यह नहीं माना जा सकता कि दस्तावेज साबित हो। न्यायालय के उक्त मत को बल न्यायिक दृष्टांत **"Gurmeet Singh Vs. State of Rajasthan, 2017(4) CJ(Cri.) (Raj.) 2040"** से प्राप्त होता है, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा यह अभिमत पारित किया गया है कि **"केवल दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राहय करना उसके प्रमाण की श्रेणी में नहीं आता। समान रूप से केवल मात्र दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करना उसके प्रमाण का परिहार नहीं कर सकता।"**

इसके अतिरिक्त पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के बाबत एक अन्य दस्तावेज जिसे परिवादी के द्वारा अपने परिवाद पत्र में आधार होना बताया गया है, वह प्रदर्श पी 03 है, जिसके बाबत परिवादी स्वयं अपने परिवाद पत्र में यह कथन करता है कि "प्रार्थी मुस्तगिस द्वारा सूचना के अधिकार, 2005 के तहत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) से सूचना मांगी गयी, जिस पर अपर सचिव लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) ने अपने पत्र दिनांक 30.03.2015 व दिनांक 04.04.2015 के जरिये लिखित में सूचित किया कि हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2010 में अनुक्रमांक 1494335 किसी भी परीक्षार्थी को आवंटित नहीं किया गया है। जनपद देहरादून पोड़ी तथा टिहरी गढ़वाल में होलिका ऐंजल सिनीयर सैकण्डरी स्कूल ऋषिकेष के नाम से कोई भी विद्यालय पंजीकृत नहीं है। अतः आयुक्त स्कूल परीक्षा वर्ष 2010 में अनुक्रमांक 1494335 का अंकतालिका व प्रमाण पत्र जाली है, जिसके संबंध में प्रदर्श पी 03 पत्रावली पर संलग्न है, इसके संबंध में परिवादी की साक्ष्य का अवलोकन किया जाए, परिवादी गवाह पी.डब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित हुआ है तथा दस्तावेज प्रदर्श पी 03 व प्रदर्श 04 पर प्रदर्श डालने से पूर्व बचाव पक्ष के द्वारा एक आपत्ति की गयी थी, जिसके बाबत नोट गवाह की साक्ष्य में लगाया गया है, जिसमें न्यायालय के द्वारा आपत्ति सुना जाकर दस्तावेज पर प्रदर्श डालने की अनुमति इस आधार पर दी गयी थी, कि आपत्ति का निस्तारण वरवक्त निर्णय किया जाएगा। मूल रूप से उक्त दस्तावेज के प्रदर्श के समय बचाव पक्ष की यह आपत्ति थी कि दस्तावेज गवाह के द्वारा जारी नहीं किये होने से व ना ही उस पर गवाह के हस्ताक्षर नहीं होने से उसे प्रदर्शित नहीं करवाया जा सकता, तो उक्त के संबंध में न्यायालय का यह विनम्र मत है कि दस्तावेज पर केवल मात्र प्रदर्श डालने से दसतावेज को स्वतः साबित नहीं माना जा सकता। दस्तावेज को साबित करने के लिये उक्त दस्तावेज के क्रिएटर/रचियता को न्यायालय के समक्ष परीक्षित होना होता है। यदि दस्तावेज प्रकरण में सुसंगत है व प्रथम व द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में आता है, तो वह नियमानुसार प्रदर्शित करवाया जा सकता है। उक्त दस्तावेज का साबित होना या ना साबित होना

अन्य बिन्दु है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेज को प्रदर्श नहीं डालने की आपत्ति को अस्वीकार किया जाता है। आगे उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी 03 का अवलोकन किया जाए, तो प्रदर्श पी 03 अपर सचिव /लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) विनोद प्रसाद सिमल्टी के द्वारा जारी होना दर्शित होता है, इस स्थिति में उक्त दस्तावेज को साबित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण गवाह विनोद प्रसाद सिमल्टी था, जिसके संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए, तो पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी के द्वारा परिवाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया व उस परिवाद को पुलिस के समक्ष भेजा गया, तो उसकी कार्यालय रिपोर्ट में कहीं भी प्रदर्श पी 03 का अंकन नहीं है, जबकि स्वयं परिवादी प्रदर्श पी 03 के बाबत अपने परिवाद में स्पष्ट रूप से अंकित करता है। प्रदर्श पी 03 परिवादी के द्वारा पुलिस को दौराने अनुसंधान नहीं उपलब्ध करवाया गया। इस प्रकार पुलिस के द्वारा भी उक्त गवाह विनोद प्रसाद सिमल्टी से किसी भी प्रकार का कोई अनुसंधान नहीं किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय के द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त गवाह को तलब फरमाया गया था, परंतु बार–बार तलब फरमाये जाने के उपरांत भी उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आया, जिसके कारण न्यायालय के द्वारा उक्त गवाह की साक्ष्य बंद की गयी। इस स्थिति में जहां गवाह विनोद कुमार सिमल्टी न्यायालय के समक्ष ना ही तो परीक्षित हुआ और ना ही उससे दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अनुसंधान किया गया, ना ही ऐसे कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद है, जिससे कि इस नतीजे पर पहुंचा जा सके कि गवाह के द्वारा प्रदर्श पी 03 में दी गयी सूचना का आधार किन दस्तावेजों को माना गया है, इस स्थिति में उपरोक्त समग्र विवेचन से प्रदर्श पी 03 साबित होना नहीं माना जा सकता। इसके बाबत अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 07 से जिरह की गयी है, तो उसके द्वारा जिरह में यह कथन किये गये है कि "प्रदर्श पी 01 की सी से डी भाग में कार्यवाही पुलिस में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि अभियोगी ने इस्तगाशे के साथ क्या–क्या दसतावेजात पेश किये, और वो इस्तगाशे के साथ आये थे या नहीं आये थे।" आगे उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि "प्रदर्श पी 14 व प्रदर्श पी 03 जारी करने वालों के हस्ताक्षर अलग–अलग व्यक्तियों के हैं। प्रदर्श पी 14 पर ए से बी भाग में शामिल पत्रावली किस दिनांक को किया गया था, इस बारे में दिनांक का उल्लेख नहीं है।

इसके अतिरिक्त यदि परिवाद पत्र का अवलोकन किया जाए, तो परिवाद पत्र में प्रदर्श पी 03 दिनांक 04.04.2015 के दस्तावेज के अलावा सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 23.03.2015 को भी अन्य पत्र प्राप्त होना बताया गया है, परंतु ऐसा कोई दस्तावेज परिवादी के द्वारा अपनी साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया गया है। प्रदर्श

पी 03 व 14 के बाबत परिवादी से बचाव पक्ष के द्वारा जिरह की गयी है, जिसमें परिवादी जिरह के दौरान यह कथन करता है कि "यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के लैटरहैड पर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 पर लोक सूचना अधिकारी की कोई सील भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा पृष्ठांकन है, कि प्रदर्श पी 03 सूचना के अधिकार के तहत जारी किया गया हो। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 में उल्लेखित नहीं कि मार्कशीट व प्रमाण पत्र भिन्न-भिन्न प्रिंट हो। यह कहना सही है कि मुझे प्रदर्श पी 03 मिलने के बाद तथा उसमें यह बात लिखी होने के बावजूद कि प्रमाण पत्र व अंकतालिका जाली है, उसके पौने चार वर्ष बाद मैंने कोई कार्यवाही नहीं की। यह सही है कि प्रदर्श पी 03 में यह उल्लेखित नहीं है कि वर्ष 2010 में अंकपत्र व प्रमाण पत्र कितने अनुक्रमांक से कितने अनुक्रमांक तक जारी किये गये थे।" इस प्रकार स्वयं परिवादी इन तथ्यों को स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी 03 ना ही तो किसी लैटरहेड पर जारी किया गया है, ना ही उस पर संबंधित विभाग की सील है और ना ही इसके बाबत संबंधित गवाह उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है। इस स्थिति में प्रदर्श पी 03 दस्तावेज व उसके तहत दी गयी समस्त सूचनाएं साबित नहीं मानी जा सकती। आगे प्रदर्श पी 03 के बाबत जिरह करने पर उक्त गवाह कथन करता है कि "यह सही है कि मुझे जो प्रदर्श पी 03 की रसीद दी थी, वो मैंने इस्तगाशे के साथ नहीं लगायी थी। यह कहना गलत है कि मैंने दिनांक 23.03.2015 व दिनांक 04.04.2015 के दोनों पत्र विनोद प्रसाद सिमल्टी अपर सूचना अधिकारी से साज करके तैयार करवाये हो।" आगे जब उक्त गवाह से यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रदर्श पी 03 में यह उल्लेखित नहीं है कि हाई स्कूल परीक्षा का अनुक्रमांक किसी भी परीक्षार्थी को आवंटित नहीं किया गया है, तो उक्त के बाबत गवाह परिवादी चिमनाराम इस तथ्य को स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी 03 में इस आशय का कोई अंकन नहीं है।" आगे उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि "यह सही है कि मैंने रजिस्टार सहकारी समिति उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल) से सूचना के अधिकार के तहत यह सूचना प्राप्त नहीं की कि जनपद देहरादून पोडि तथा टिहरी गढवाल में होली ऐंजल सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल ऋषिकेश के नाम से रजिस्टार सहकारी समिति में उक्त विद्यालय पंजीकृत है या नहीं। यह सही है कि मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में जो बयान दिया था कि वर्ष 2010 तक ऐसा कोई विद्यालय पंजीकृत नहीं था, ऐसा तथ्य प्रदर्श पी 03 में कहीं भी अंकित नहीं है।" इस स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष यह तथ्य भी संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि वर्ष 2010 में होलिका ऐंजल सिनीयर सैकेण्डरी स्कूल ऋषिकेश उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद का संचालन ना हो रहा हो। आगे उक्त गवाह यह कथन करता है कि "यह सही है कि लिफाफा प्रदर्श पी 04 न तो

अन्वेषण अधिकारी ने मेरे से मांगा था और ना ही मैंने देने की चेष्ठा की थी।" इस स्थिति में पूर्व के विवेचन के आधार पर दो दस्तावेज प्रदर्श पी 03 व प्रदर्श पी 14 जिसके आधार पर बाद अनुसंधान पुलिस के द्वारा इस नतीजे पर पहुंचा गया कि अभियुक्त के द्वारा अंकतालिका व प्रमाण पत्र की कूटरचना की गयी है। पूर्व के विवेचन के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे साबित नहीं माने जा सकते।

इसके अतिरिक्त यदि यह माना भी जाए कि उक्त अंकतालिका व प्रमाण पत्र होली ऐंजल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल ऋषिकेश उत्तराखण्ड द्वारा गलत रूप से जारी की गयी थी, तो उस स्थिति में एक अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु अनुसंधान का यह था कि उक्त स्कूल के तत्समय प्रधानाचार्य अथवा अन्य अधिकृत व्यक्ति जिसके द्वारा यह अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र जारी किया गया, उनसे अनुसंधान किया जाता, परंतु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ना ही तो ऐसे किसी व्यक्ति को प्रकरण में आरोपी के रूप में रखा गया है, ना ही उक्त स्कूल के व्यवस्थापक अथवा प्रधानाचार्य से किसी भी प्रकार का कोई अनुसंधान किया या है। यह भी विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि फोल्स डाक्यूमेंट व फेबरिकेट डाक्यूमेंट दो अलग-अलग अभिव्यक्तियां है। केवल मात्र दस्तावेज के झूठे होने से यह नहीं माना जा सकता कि वह कूटरचित हो।

इसके अतिरिक्त धारा 467 भा.दं.सं. का अपराध साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि अभियुक्त के द्वारा किसी मूल्यवान प्रतिभूति की कूटरचना की गयी हो। मूल्यवान प्रतिभूति को धारा 30 भा.दं.सं. में परिभाषित किया गया है। मुताबिक धारा 30 भा.दं.सं.-

> **मूल्यवान प्रतिभूति" शब्द उस दस्तावेज के द्योतक हैं, जो ऐसा दस्तावेज है, या होना तात्पर्यित है, जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अन्तरित, निर्बन्धित, निर्वापित, किया जाए, छोड़ा जाए या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है, या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है।**

अंकतालिका अपने आपमें मुल्यवान प्रतिभूति हो, इसके संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया, जिसमें (Mahendra kumar Shukla vs. State of Madhya Pradesh) decided on 02/09/2022 opined that mark-sheet is not a 'valuable security and therefore, offence under Section 467 of IPC is not sustainable.

The Division Bench in the case of Mahendra Kumar Shukla (supra) has followed the ratio decidendi laid down by the Apex Court

in **Shriniwas Pandit Dharmadhikari vs. State of Maharashtra (1980) 4 SCC 551** and came to hold that mark–sheet is not a 'valuable security within the meaning of Section 467 of the IPC. उक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अंकतालिका को मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी में नहीं माना गया है।

इसके अतिरिक्त जहां तक परिवादी का यह तर्क है कि केवल मात्र प्रमाणित दस्तावेजात को न्यायालय के समक्ष पेश करने से इस अंतिम नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि अभियुक्त के द्वारा उक्त दस्तावेजात की कूटरचना की गयी थी व उसके लिये मूल दस्तावेजों की न्यायालय के समक्ष उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, इसके संबंध में अधिवक्ता परिवादी के एक न्यायिक दृष्टांत **2023 3 ACR 2428, Andra Pratap Tiwari Vs. State of U.P.** पेश किया गया है उक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त न्यायिक दृष्टांत में मूल रूप से घटनाक्रम इस प्रकार था कि प्रिंसिपल के.एस. शाकेत ने प्रकरण में एफआईआर इस आधार पर दर्ज करवायी थी कि मुलजिमान ने जो कि बीएससी पार्ट 1 एग्जामिनेशन में पास नहीं थे, उन्होंने झूठी मार्कशीट तैयार कर व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आपराधिक साजिश की और इसके आधार पर उन्होंने पार्ट 02 में एडमीशन लिया, जिसके वे अधिकारी नहीं थे। उक्त न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि उसमें मार्कशीट के बाबत धारा 467 भा.दं.सं. का अपराध के बाबत कोई भी चालान प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरुद्ध पेश नहीं किया गया था, इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण स्वयं प्रिंसिपल के.एस. शाकेत के द्वारा पंजीबद्ध करवाया गया था व उनके द्वारा इस बाबत अन्य साक्ष्य में तीन गवाह महेन्द्र कुमार, रामबहादुर सिंह व श्रीकांत पाठक परीक्षित करवाये गये थे, जिन्होंने कॉलेज को रिकोर्ड को साबित किया था, जिसके अनुसार अभियुक्तगण के द्वारा पार्ट 01 एग्जाम क्लीयर नहीं किया गया था। हस्तगत प्रकरण में अपर सचिव विनोद कुमार सिमल्टी ना ही तो परीक्षित हुआ है, ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश हुआ है, जिससे कि यह साबित होता हो कि उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल) से कोई भी अंकतालिका व प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो। अतः परिवादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत की तथ्य व परिस्थितियां हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त यदि पुलिस के द्वारा पेश अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन किया जाए, तो पुलिस के द्वारा अंतिम प्रतिवेदन में मुलजिम हरलाल से की गयी बिन्दुवार पूछताछ दिनांक 30.03.2019 व अभियुक्त के द्वारा इसके संबंध में दिया गया जवाब दिनांक 01.04.2019 को भी आधार माना गया है। पुलिस के द्वारा बाद

अनुसंधान जो चालान पेश किया गया है, उसमें इस तथ्य का अंकन किया गया है कि मुलजिम के द्वारा स्वयं को जामिया उर्दू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्तीण होना बताया है, परंतु प्रमुख शासन सचिव राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 4() निर्वा/विधि/प.रा./2014/6 जयपुर दिनांक 02.01.2015 के अनुसार जिला परिषद व पंचायती समिति के सदस्यों के मामलों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या उसके समकक्ष किसी भी बोर्ड से माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उर्तीण हो। यह अनिवार्य शर्त थी तथा उक्त आदेश की सूची संलग्न थी, जिसमें जामिया उर्दू अलीगढ़ का नाम नहीं है। आगे बिन्दु सं. 04 में पुलिस ने चालान में यह भी तथ्य रखे हैं कि यदि मुलजिम हरलाल सिंह जामिया उर्दू अलीगढ़ की अदिब अंकतालिका को आधार बनाकर चुनाव लड़ता तो उसका फार्म उसी समय निरस्त हो जाता। तथा मुलजिम द्वारा जानबूझकर तथ्य को छिपाकर ही जामिया उर्दू अलीगढ़ की अदिब अंकतालिका का उल्लेख अपने नाम निर्देशन फार्म में नहीं किया। क्योंकि मुलजिम को यह पता था कि जामिया उर्दू अलीगढ़ अदिब की अंकतालिका का उक्त आदेश में कहीं भी अंकन नहीं है, तो इसके संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए, तो पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्समय निर्वाचन अधिकारी अर्चना सिंह न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू 02 के रूप में परीक्षित हुयी थी तथा वह अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन करती है कि "प्रदर्श पी 05 के साथ प्रदर्श पी 06 व 07 के अतिरिक्त प्रदर्श पी 08 मार्कशीट अंकतालिका जामिया उर्दू अलीगढ़ की फोटो प्रति भी पेश की गयी थी।" जो कि पत्रावली पर प्रदर्श पी 08 के रूप में संलग्न है। उक्त जामिया उर्दू अलीगढ़ की अंकतालिका को किसी भी प्रकार से निर्वाचन अधिकारी अर्चना सिंह के द्वारा तत्समय गलत माना गया हो अथवा उसको आधार मानते हुए निर्वाचन निरस्त करने का कोई नोट अंकित किया गया हो अथवा उसे आधार नहीं माना गया हो। इसके बाबत कोई भी कथन गवाह पी.डब्ल्यू 02 अर्चना सिंह अपनी मुख्य परीक्षा में नहीं करती है, ना ही इस तथ्य का कोई नोट प्रदर्श पी 05 पर अंकित है। इससे पुलिस के द्वारा चालान में यह आधार उठाया गया है कि अभियुक्त के द्वारा उत्तराखण्ड बोर्ड से ही दसवीं उर्तीण होना बताया गया व जामीया उर्दू अलीगढ़ के बाबत कोई सूचना नहीं दी गयी, वह गवाह पी.डब्ल्यू 02 के बयानों से विरोधाभासी होने के कारण स्वतः ही साबित नहीं होते हैं। पत्रावली के अवलोकन से यहां यह भी स्पष्ट है कि पत्रावली पर ऐसा कोई भी चक्क्षूदर्शी साक्षी मौजूद नहीं है, जिसने कि इस तथ्य की ताईदगी की हो कि अभियुक्त के द्वारा प्रमाण पत्र व अंकतालिका की कूटरचना करते हुए उसके द्वारा देखा गया हो। चक्क्षूदर्शी साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष को संपूर्ण घटना अभियुक्त के विरुद्ध कड़ीबद्ध रूप से संदेह से परे साबित करना था, जिसका एकमात्र नतीजा यह निकलता हो कि अपराध केवल व केवल अभियुक्त के द्वारा ही किया गया हो, अन्य किसी के द्वारा नहीं।

हस्तगत प्रकरण में उक्त कड़ी यह होती कि अभियुक्त से मूल दस्तावेज नियमानुसार जप्त किये जाते, उन्हें नियमानुसार मालखाना में रखा जाता व उसके बाबत एफएसएल रिपोर्ट आदि करवायी जाती, परंतु ऐसी कोई भी कड़ी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन व परिवादी पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा हैं कि अभियुक्त के द्वारा किसी मूल्यवान प्रतिभूति अथवा मार्कशीट व प्रमाणपत्र की किसी भी कम्प्यूटर अथवा अन्य माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र करते हुये कूटरचना की गयी हो।

यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 467 भा.दं.सं. व कूटरचना के अपराध के लिये तब तक किसी भी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं माना जा सकता, जब तक कि यह साबित ना हो कि तथाकथित दस्तावेज उस व्यक्ति विशेष के द्वारा तैयार किया गया हो। **न्यायालय के उक्त मत को बल 2018 Cr.L.R. (SC) 527, Sheila Sebastian Vs. R. Jawaharaj & Anr. ETC.** से प्राप्त होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत पारित किया गया है कि **"An offence of forgery cannot lie against a person who has not created it or signed it."**

न्यायिक दृष्टांत **2025(4) CJ (Cri.) (SC) 1157, Vandana Vs. State of Maharastra** में माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि "कोई भी अभिकथित छेड़छाड़ अपीलार्थी स्वयं द्वारा उस समय की गयी थी, जब वह दस्तावेज उस समय उसके कब्जे में था, अभिकथित दस्तावेज का कूटरचित होना ज्ञात होने से पहले दस्तावेजों का उनके हाथों से गुजरना इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये असुरक्षित है, कि अपीलार्थी ही छेड़छाड़ का रचियता था या उसे दस्तावेज के छेड़छाड़ की जानकारी थी।" ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अभियोजन पक्ष यह तथ्य साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त हरलाल सिंह के द्वारा ही दस्तावेजात की कूटरचना की गयी हो, अथवा उसके कब्जे में रहने के दौरान उसके द्वारा उसको गड़ा गया हो, इस स्थिति में अंतिम रूप से केवल मात्र इस आधार पर कि उसके द्वारा दस्तावेजात पेश किये गये थे, यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा ही उसकी कूटरचना की गयी हो।

इसके अतिरिक्त धारा 120बी भा.दं.सं. का अपराध साबित करने के लिये सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि अभियुक्त के द्वारा धारा 120क भा.दं.सं. के अनुसार आपराधिक षडयंत्र किया गया हो। धारा 120ए भा.दं.सं. के अनुसार आपराधिक षडयंत्र के लिये यह आवश्यक है कि जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करे अथवा ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है। अवैध साधनों द्वारा करने अथवा करवाने की संगत होती है, तो ऐसी सहमति आपराधिक षडयंत्र कहलाती है,

जिसके परंतुक में यह भी प्रावधान किये गये हैं कि किसी भी अपराध की करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षडयंत्र तब तक ना होगी, जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य इसके अनुसरण में इस सहमति के एक या अधिक पक्षकारान द्वारा नहीं कर दिया जाये। जहां तक पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पूर्व में परिवादी के द्वारा अपने परिवाद प्रदर्श पी 01 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया था कि अभियुक्त के द्वारा अन्य तथाकथित व्यक्तियों के साथ मिलकर मार्कशीट व प्रमाण पत्र की कूटरचना की गयी। पूर्व के विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि इसके संबंध में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा धारा 173 (8) भा.दं.सं. के तहत अग्रिम अनुसंधान के तहत आदेश दिये गये, परंतु पुलिस के द्वारा बाद अनुसंधान धारा 173(8) दं.प्र.सं. के तहत नकारात्मक रिपोर्ट पेश करते हुये यह माना कि अन्य कोई व्यक्ति अपराध में संलिप्त नहीं था, जिसके संबंध में परिवादी के द्वारा जब धारा 190 दं.प्र.सं. व धारा 210 बीएनएसएस का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तो उसे इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में खारिज किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त यदि परिवादी के द्वारा पेश उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 190 दं.प्र.सं. व धारा 210 बीएनएसएस का अवलोकन किया जाए, तो उसमें उसने गोवर्धन पूनियां नाम के व्यक्ति के द्वारा अभियुक्त के साथ मिलकर मार्कशीट आदि की कूटरचना करना बताया गया है, परंतु जहां पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी को वर्ष 2015 में इस तथ्य का ज्ञान हो चुका था कि अभियुक्त के द्वारा गलत रूप से फर्जी मार्कशीट व प्रमाण पत्र पेश किये गये है, उस स्थिति में 4 वर्ष उपरांत परिवादी के द्वारा अपने परिवाद में केवल व केवल अभियुक्त हरलाल को ही अपराधी मानते हुये परिवाद पेश किया गया था व अपने परिवाद में कहीं भी गोवर्धन पूनिया का नाम नहीं लिया गया है। मुख्य परीक्षा में भी परिवादी पी.डब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित हुआ, परंतु उसने अपनी मुख्य परीक्षा में भी कोई कथन नहीं किये, ना ही ऐसी कोई स्पष्ट साक्ष्य रखी कि अभियुक्त हरलाल ने गोवर्धन पूनिया या अन्य किसी व्यक्ति के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र किया हो। इस स्थिति में अन्य किसी व्यक्ति की संलिप्तता अपने आप में संदेहास्पद हो जाती है। इस स्थिति में धारा 120ए भा.दं.सं. के घटक उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं माने जा सकते। न्यायालय के उक्त मत को बल न्यायिक दृष्टांत Manoj Kumar Soni Vs State of Madhya pradesh से प्राप्त होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत पारित किया गया है कि "**Can a single individual conspire with ownself ?—Held, no—Conviction of appellant K u/s. 120—B was completely vitiated.**"

जहां तक धारा 420 भा.दं.सं. के अपराध का प्रश्न है, तो इसके संबंध में अभियुक्त पर विरचित किये गये चार्ज का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त

के द्वारा आपराधिक षडयंत्र में अग्रसर होकर धारा 420 भा.दं.सं. के तहत अपराध कारित करने का आरोप है, पूर्व के विवेचन से अभियोजन पक्ष यह तथ्य साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त के द्वारा किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कारित किया गया हो। जहां तक धारा 420 भा.दं.सं. के अपराध का प्रश्न है तो धारा 420 भा.दं.सं. के अपराध के लिए अभियोजन पक्ष को ही सर्वप्रथम यह साबित करना था कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 415 भा.दं.सं. के लिए आवश्यक समस्त घटक साबित हो। धारा 420 भा.दं.सं. व धारा 415 भा.दं.सं. के आरोपो के संबंध में यह विधि का सुस्थापित सिद्धात है कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि अभियुक्त का संव्यवहार के प्रारंभ से ही उद्देश्य प्रवंचना करने का रहा हो जिसके लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि अभियुक्त के द्वारा जानबुझकर मिथ्या सूचना मिथ्या दस्तावेजात के आधार पर दी गई। पूर्व के विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष यह तथ्य अभियुक्त के विरूद्ध साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त के द्वारा अंकतालिका क्रमांक 1494335 व प्रमाण पत्र की कुटरचना की गई है। इस स्थिति में अभियुक्त के द्वारा संव्यवहार के प्रारंभ से ही चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित अधिकारियों व विपक्षी उम्मीदवारों को प्रवंचित करने की मंशा रही हो। इन तथ्यों को साबित करने के लिये सबसे महत्वपूर्ण गवाह वह व्यक्ति था, जिसने अभियुक्त के विरुद्ध वार्ड सं. 16 से जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा था। पूर्व के विवेचन से यह स्पष्ट है कि पुलिस ने अपने बाद अनुसंधान 173(8) दं.प्र.सं. की रिपोर्ट में यह भी माना कि परिवादी के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध निर्वाचन क्षेत्र सं. 16 से जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन में चुनाव नहीं लड़ा गया था। परिवादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में ऐसे कोई कथन नहीं किये गये हैं कि अभियुक्त के किसी कृत्य से परिवादी को सदोष हानि हुयी हो, ना ही परिवादी ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट किया कि अभियुक्त के खिलाफ वार्ड सं. 16 से जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा व उसको किसी भी प्रकार से अभियुक्त के उक्त कृत्य से किसी भी प्रकार की कोई सदोष हानि हुयी हो। इसके संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि पूर्व में परिवादी चिमनाराम के द्वारा एक रिट पिटीशन प्रदर्श डी 01 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गयी थी, जिसमें परिवादी के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से यह अनुतोष चाहा गया था कि अभियुक्त से जिला प्रमुख के पद पर रहते हुये जो भी सैलेरी व अन्य अलाउंस प्राप्त किये गये है, तो उससे रिकवर किये जाए, तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 व उसके अधीन बनाये गये नियम 80 व आर्टिकल 193 भारतीय संविधान को दृष्टिगत रखते हुवे उक्त रिट याचिका इनफेक्चुएश होने के आधार पर खारिज की गयी, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत

K.Venkatachalam Vs. A.Seamickan & Anr., AIR 1999 SC 1723 के अनुसरण में यह जाहिर किया कि आर्टिकल 193 भारतीय संविधान के तहत राज्य सरकार संबंधित मेंमबर ऑफ लेजिस्लेटिव असैम्बली से सैलेरी आदि रिकवर करने हेतु स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त एक अन्य याचिका 1051/2017 प्रदर्श डी 2 अभियुक्त हरलाल सिंह के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गयी, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा नियम 80 राजस्थान पंचायती राज इलेक्शन रूलस 1994 व आर्टिकल 243 (O) पर विचार करते हुवे यह पाया कि केवल कनटेस्टिंग केंडिडेंड के द्वारा ही चुनाव रूल्स में दिये गये आधारों पर चैलेंज किया जा सकता है, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि चिमनाराम इन तथ्यों को स्वीकार करता है कि उसने जिला प्रमुख का चुनाव अभियुक्त के विरुद्ध कन्टेस्ट नहीं किया, जिसके आधार पर अभियुक्त के द्वारा पेश की गयी स्पेशल अपील को स्वीकार किया गया व यह आदेश पारित किया गया है कि "**Consequently, the instant special appeal is allowed, the order impugned dated 02nd November 2017 passed by learned Single Judge in SBCWP No.4546/2015 is hereby quashed and the application filed by the writ-petitioner/respondent No.4 herein, for amendment, is hereby rejected.**"

पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार के द्वारा या उसके किसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा हस्तगत प्रकरण अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज नहीं करवाया गया है, ना ही अभियुक्त के चुनाव को चैलेंज करने के बाबत ना ही तो कोई एफआईआर व अन्य कार्यवाही संबंधित निर्वाचन अधिकारी के द्वारा की गयी है, इसके संबंध में निर्वाचन अधिकारी अर्चना सिंह पी.डब्ल्यू 02 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुयी है, जिससे बचाव पक्ष के द्वारा जिरह की गयी है, जिसमें उक्त गवाह जिरह में यह कथन करती है कि "यह कहना सही है कि उक्त नाम निर्देशन पत्र मेरे अधीन जो टीम थी, उसके द्वारा चैक किया गया, उसके बाद मेरे समक्ष नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत हुआ था। अभी मुझे ध्यान नहीं है कि नाम निर्देशन पत्र प्रदर्श पी 05 मेरे अधीन किस व्यक्ति ने चैक किया था। अजखुद कहा कि उसका रिकोर्ड मेरे तत्समय कार्यालय में होगा। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 05 नाम निर्देशन में कहीं पर भी ऐसा कहीं अंकन नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त नाम निर्देशन पत्र प्रदर्श पी 05 अभियुक्त ने स्वयं मेरे सामने उपस्थित होकर पेश किया था। अजखुद कहा कि मुझे आज याद है कि अभियुक्त ने स्वयं उपस्थित होकर प्रदर्श पी 05 पेश किया था। फिर गवाह ने कहा कि प्रदर्श पी 05 के भाग 04 (रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा भरे जाने) इस बात का अंकन है। मुझे इस बात का ध्यान नहीं है कि प्रदर्श पी 05 फार्म के साथ पेश

की गयी मार्कशीट की फोटोप्रतियां मेरे सामने तैयार हुयी थी या नहीं। प्रदर्श पी 05 व उसके साथ संपूर्ण संलग्न दस्तावेज प्रदर्श पी 06, 07 व 08 पर अभियुक्त हरलाल के हस्ताक्षर मेरे सामने नहीं हुवे थे। यह कहना सही है कि निर्वाचन के लिये जो उम्मीदवार शपथ पत्र पेश करते है, उन शपथ पत्र पर कोई आपत्ति नहीं आती है, तो चुनाव की कार्यवाही करते हैं।" इस स्थिति में निर्वाचन अधिकारी के बयानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निर्वाचन अधिकारी के द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि संव्यवहार के प्रारंभ में जब नाम निर्देशन पत्र उसके समक्ष पेश किया गया, तभी अभियुक्त हरलाल ने उक्त नाम निर्देशन पत्र विभाग को प्रवंचित करने के आशय से पेश किया हो। पूर्व के विवेचन से जहां यह भी स्पष्ट है कि नाम निर्देशन पत्र में जो दस्तावेज प्रदर्श पी 06 व 07 पेश किये गये थे, वे किसी भी प्रकार से कूटरचित हो, यह तथ्य अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। परिवादी चिमनाराम को किसी भी प्रकार की कोई सदोष हानि अभियुक्त के चुनाव में जीतने से हुयी हो, इसके बाबत परिवादी कोई कथन अपनी मुख्य परीक्षा में नहीं करता है। यह भी स्वीकार्य स्थिति है कि परिवादी ने वार्ड सं. 16 से जिला परिषद सदस्य का चुनाव अभियुक्त के विरुद्ध नहीं लड़ा था व ना ही वह उसका उम्मीदवार था। इस स्थिति में उपरोक्त समग्र विवेचन से अभियोजन पक्ष यह तथ्य साबित करने में भी असफल रहा है कि अभियुक्त के द्वारा संव्यवहार के प्रारंभ से ही निर्वचान में सम्मिलित अधिकारीयों व उम्मीदवारों को प्रवंचित कर उन्हें सदोष हानि कारित करने के उद्देश्य से नाम निर्देशन फार्म में सांख्यकीय सूचना के फार्म की मद सं. 09 एवं नाम निर्देशन फार्म के संलग्न पेश उपाबंध ॥ शपथ पत्र की मद सं. 05 में अपनी शैक्षणिक योग्यता गलत 10वीं पास अंकत कर उक्त आवेदन कर चुनाव लड़ा गया हो। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपरध अंतर्गत धारा 420 भा.दं.सं. का अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

जहां तक धारा 468 भा.दं.सं. का प्रश्न है, तो धारा 468 भा.दं.सं. के आरोप अभियुक्त पर विरचिंत किये गये है तो उसके लिए अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध यह साबित करना था कि उसके द्वारा अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र के अग्रसर में बेईमानी पूर्ण आशय से छल का प्रयोजन कर, अंकतालिका व प्रमाण पत्र की कूटरचना कर चुनाव लड़ा हो। जहां पूर्व के विवेचन से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक षड़यंत्र के अग्रसर में दस्तावेजात की कूटरचना व छल का अपराध साबित करने में असफल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अतर्गत धारा 468 भा.दं.सं. का भी अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

जहां तक धारा 471 भा.दं.सं. का प्रश्न है तो इसके लिए अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध इन तथ्यों को साबित करना था कि अभियुक्त के द्वारा कपटपूर्ण व बेईमानीपूर्ण आशय से दसतावेजात जिनके बारे में वह यह जानता था कि वह कूटरचित है उसका असल के रूप में प्रयोग किया गया। पत्रावली में पूर्व के विवेचन से यह स्पष्ट है कि जिन अंकतालिका व प्रमाण पत्र का तथाकथित रूप से कूटरचित होने के आरोप अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये है। उक्त दस्तावेज की कूटरचना अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध यह तथ्य भी साबित करने में असफल रहा है कि नाम निर्देशन पत्र भरते समय अभियुक्त को प्रारंभ से ही इस तथ्य की पूर्ण जानकारी रही हो या उसके पास यह मानने के पूर्ण आधार रहे हो कि जो दस्तावेज उसके द्वारा पेश किये गये हो वह कूटरचित दस्तावेज हो। पुलिस के द्वारा दौराने अनुसंधान बिंदूवार प्रश्नोत्तरी तैयार की गयी थी, उसका अभियुक्त के द्वारा जवाब दिया गया था उसमें भी अभियुक्त के द्वारा इन तथ्यों को स्वीकार नहीं किया गया है कि उक्त दस्तावेजात अंकतालिका व प्रमाणपत्र है वे कूटरचित दस्तावेज है। इस स्थिति में धारा 471 भा.दं.सं. का अपराध अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित नही है।

जहां तक धारा 193 भा.दं.सं. का प्रश्न है तो उसके लिये अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध यह साबित करना था कि अभियुक्त के द्वारा न्यायिक कार्यवाही में किसी प्रक्रम पर या तो मिथ्या साक्ष्य दी गयी है या किसी प्रक्रम पर प्रयोग में लाये जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य को गड़ा गया है। पूर्व के विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त के द्वारा किन्ही अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र किया गया हो व उसके तहत दस्तावेज की कूटरचना की गयी हो। इस स्थिति में अभियुक्त के द्वारा निर्वाचन अधिकारी को दी गयी सूचना उसकी जानकारी में किसी भी प्रकार से मिथ्या हो अथवा धारा 192 भा.दं.सं. के तहत मिथ्या साक्ष्य घड़ने की श्रेणी में आती हो यह तथ्य अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध साबित करने में असफल रहा है।

इसके अतिरिक्त निवार्चन अधिकारी के समक्ष की गयी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही की श्रेणी में नहीं आती इसके संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा न्यायिक दृष्टांत **2021(1)CJ (Cri.) (Raj.) 2025, Kiran Kanwar (Smt.) Vs. State of rajasthan & Anr.** पेश किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत पारित किया गया है कि "**Court" includes all Judges and Magistrates, and all persons except arbitrators, legally authorized to take evidence."**

Thus, the petitioner had not given any evidence or furnished any document before any Court. Thus, wrongly FIR was registered for the offences under Sections 191, 192 and 193 IPC.

The petitioner has not forged and fabricated any document, therefore, the offences under Sections 464, 465, 468 and 471 IPC are attracted.

In view of specific offences defined under Section 177, 181 and 182 IPC, offence of cheating is also not made out. Therefore, no offence under Sections 419 and 420 IPC is made out. तो उक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष की गयी कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही नहीं माना। ऐसी स्थिति में अपराध अतर्गत धारा 193 भा.दं.सं. का अपराध अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित नही है।

इसके अतिरिक्त जहां तक बचाव पक्ष का यह तर्क है कि परिवादी के द्वारा हस्तगत प्रकरण में एफआईआर अत्यधिक देरी से पेश की गयी हो तथा उक्त देरी के बाबत कोई युक्तियुक्त कारण परिवादी के द्वारा नहीं बताया जाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक है तो इसके संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो परिवादी के द्वारा अपने परिवाद में इस तथ्य का स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि उसके द्वारा मुल्जिम हरलाल सिंह की शैक्षणिक योग्यता पर शंका होते ही सूचना के अधिकार के तहत दो पत्र दिनांक 23.03.2015 व दिनांक 04.04.2015 के जरिये लिखित सूचना प्राप्त की गयी थी जिसके संबंध में उसके द्वारा प्रदर्श पी 03 पत्रावली पर पेश किया गया है जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि परिवादी को इस तथ्य का ज्ञान कि तथाकथित रूप से अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध किया गया हो इसका ज्ञान उसे वर्ष 2015 में हो चुका था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि परिवादी के द्वारा हस्तगत परिवाद न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.01.2019 को लगभग चार वर्ष बाद पेश किया गया था। उक्त देरी के बाबत परिवादी के द्वारा अपने परिवाद पत्र में मूल कारण यह बताया गया था कि उसके द्वारा मुल्जिम का निर्वाचन रद्ध करने के लिए एक रिट याचिका पेश की गयी थी जिस रिट याचिका की बहस के दौरान प्रतिपक्ष अभियुक्त की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में यह तर्क कई बार दिए गए थे कि अभियुक्त के द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ा है तो उसके विरूद्ध कोई फौजदारी मुकदमा आप क्यों नही दर्ज करवा रहे हो तो ऐसी सूरत में अब यह मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। चूंकि इसके संबंध में प्रदर्श डी 01 का अवलोकन किया जाए, तो उसमें कहीं भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाने की कोई रोक परिवादी पर लगायी गयी हो, ऐसा कोई अंकन नहीं है। न्यायालय

के विनम्र मत में परिवादी घटना के तुरंत बाद एफआईआर करवाने हेतु स्वतंत्र था। केवल मात्र रिट याचिका पेश करने के कारण उसके द्वारा एफआईआर कराने में देरी की गयी, यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, ना ही इसे एफआईआर दर्ज करवाने में की गयी देरी के बाबत युक्तियुक्त आधार माना जा सकता।

इसके अतिरिक्त एक अन्य आधार परिवादी के द्वारा यह भी बताया गया है कि उसके द्वारा तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय चूरू को लिखित व मौखिक रूप से मुलजिम के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने का निवेदन किया गया था, परंतु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई दस्तावेज लिखित में संबंधित जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश किया गया हो, ऐसा कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। इसके संबंध में स्वयं तत्कालीन जिला कलेक्टर अर्चना सिंह पी.डब्ल्यू 02 के रूप में परीक्षित हुयी है तथा वह स्पष्ट रूप से कथन करती है कि "मेरे ध्यान में नहीं है कि मैंने किसी व्यक्ति को अभियुक्त हरलाल के विरुद्ध एफआईआर एवं कोई कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया था या नहीं अथवा इस बाबत पत्रावली पर कोई दस्तावेज है या नहीं। मुझे इस बात का ध्यान नहीं है कि वार्ड नं. 16 में अभियुक्त हरलाल के सामने जिला परिषद का चुनाव किसने लड़ा था व जिला प्रमुख का चुनाव भी अभियुक्त हरलाल के विरुद्ध किसने लड़ा था। यह कहना सही है कि अभियुक्त हरलाल का नाम निर्देशन फार्म प्रदर्श पी 05 जमा हुआ था, तो इस संबंध में मेरे सामने किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आयी थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 05 के साथ जो शपथ पत्र संलग्न है, उस शपथ पत्र पर मेरे द्वारा कोई पृष्ठांकन नहीं किया गया है, यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 05 व उसके संलग्न शपथ पत्र में कहीं भी स्कूल का नाम व रोल नंबर अंकित नहीं है।" इसके अतिरिक्त परिवादी के द्वारा एफआईआर देरी से पेश करने के बाबत कोई युक्तियुक्त कारण पेश नहीं किया गया है, तो यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि उक्त एफआईआर यदि देरी से पेश की गयी है तथा उसके संबंध में परिवादी के द्वारा देरी का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है, तो वह अभियोजन पक्ष के लिये घातक साबित हो सकती है। इसके संबंध में माननीय उच्चत्तम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Sekaran Vs The Sttate of Tamil Nadu, Criminal Appeal No. 2294 of 2010** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, **" We start with the FIR, to which exception has been taken by the appellant urging that there has been no satisfactory explanation for its belated registration. It is trite that merely because there is some delay in lodging an FIR, the same by itself and without anything more ought not to weigh in the mind of the courts in all cases as fatal for the prosecution. A realistic and pragmatic**

approach has to be adopted, keeping in mind the peculiarities of each particular case, to assess whether the unexplained delay in lodging the FIR is an afterthought to give a coloured version of the incident, which is sufficient to corrode the credibility of the prosecution version. In cases where delay occurs, it has to be tested on the anvil of other attending circumstances. If on an overall consideration of all relevant ciroumstances it appears to the court that the delay in lodging the FIR has been explained, mere delay cannot be sufficient to disbelieve the prosecution case; however, if the delay is not satisfactorily explained and it appears to the court that cause for the delay had been necessitated to frame anyone as an accused, there is no reason as to why the delay should not be considered as fatal forming part of several factors to vitiate the conviction." तथा इसके अतिरिक्त अन्य न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार से हैः–

(i) Rajeev Vs. State of Harayana, (2013) 12 scc 753

(ii) State of punjab Vs. Gurmit Singh, 1996(2) SCC 673

(iii) Lal Saheb Singh Vs. State of Bihar, 2003(11)SCC 388

(iv) State of Uttar Pradesh Vs. Harihar Singh, 2007 (13) SCC 676

इस स्थिति में बचाव पक्ष उक्त तर्क को साबित करने में सफल रहा है कि परिवादी के द्वारा एफआईआर 04 वर्ष पश्चात पेश की गयी थी, जिसके संबंध में परिवादी पक्ष के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई युक्तियुक्त कारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जो कि अभियोजन की कहानी को पूर्ण रूप से संदेहास्पद करता है।

इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के द्वारा एक अन्य आधार हस्तगत प्रकरण के संबंध में यह उठाया गया है कि परिवादी चिमनाराम ने पंचायति समिति का चुनाव अभियुक्त के खिलाफ लड़ा था, जिसके कारण वह उससे राजनीतिक रंजिश रखने लगा, जिसके कारण परिवादी के द्वारा हस्तगत मुकदमा झूठा दर्ज करवाया गया। उक्त तथ्यों के संबंध में परिवादी से बचाव पक्ष के द्वारा जिरह की गयी है, जिसमें परिवादी पी.डब्ल्यू 01 चिमनाराम यह कथन करता है कि "यह सही है कि मैं वर्ष 2005–09 के बीच ग्राम पंचायत ढाढर का संरपच था। यह सही है कि पंचायत समिति के चुनाव सरपंच के चुनाव में दो दिन पहले ही हो गये थे और मैंने जो पंचायति समिति वार्ड का चुनाव लड़ा था, वह कांग्रेस के सींबल पर लड़ा था। अभियुक्त हरलाल सिंह ने बीजेपी

के सींबल पर चुनाव मेरे सामने लड़ा था। यह कहना सही है कि उक्त चुनाव में हरलाल सिंह हार गया था। यह कहना गलत है कि उसके बाद में मेंने हरलाल सिंह जी से राजनीतिक के अलावा व्यक्तिगत रंजिश रखनी शुरू कर दी हो।" आगे 2015 में बीजेपी की सरकार होने के कारण परिवादी के द्वारा एफआईआर नहीं पेश की गयी। कांग्रेस की सरकार के दौरान जानबूझकर देरी से एफआईआर पेश करने के तथ्यों के बाबत भी जब परिवादी से पूछा गया है, तो उसने इन तथ्यों को स्वीकार किया है कि वर्ष 2015 में बीजेपी की सरकार थी। इस प्रकार बचाव पक्ष यह संदेह उत्पन्न करने में भी सफल रहा है कि हस्तगत प्रकरण परिवादी के द्वारा आपसी रंजिश वश किन्हीं अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बाद सोच–समझकर व कानूनी राय लेकर प्रस्तुत किया गया था। इस स्थिति में बचाव पक्ष उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर अभियोजन की कहानी में संदेह उत्पन्न करने में सफल रहा है, जिसे अभियोजन पक्ष दूर करने में असफल रहा है।

12. अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रस्तुत साक्ष्य के समग्र अवलोकन के पश्चात अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अवधार्य बिंदु में निहित अपराध श्रृंखलाबद्ध, विश्वसनीय, ठोस एवं युक्तियुक्त साक्ष्य पेश कर सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है, जिससे यह साबित होता है कि "अभियुक्त हरलाल ने अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र करते हुए वर्ष 2010 में होलिका ऐंजल सिनीयर सैकेण्डरी स्कूल ऋषिकेश उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के मिथ्या अंकतालिका व प्रमाण पत्र की छल के प्रयोजन से कूटरचना कर, मिथ्या साक्ष्य गढ़ कर मिथ्या साक्ष्य के आधार पर कूटरचित दस्तावेजात के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपाबंध 1 के प्रारूप के कॉलम सं.5 में मिथ्या घोषणा करते हुए निर्धारित अर्हता नहीं रखते हुए अर्हित होना साशय दर्शा कर अभियुक्त हरलाल द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रवंचित किया तथा उक्त दस्तावेजात का कपटपूर्वक व बेईमानीपूर्वक रूप से वर्ष 2015 में जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र वार्ड सं. 16 से जिला सदस्य के रिटर्निंग ऑफिसर जिला परिषद सदस्य निर्वाचन, जिला चूरू के समक्ष असल के रूप में उपयोग करते हुवे चुनाव जीतकर सदोष लाभ प्राप्त किया व चुनाव प्राधिकारी व सम्मिलित अधिकारीयों व विपक्षी उम्मीदवारों को सदोष हानि कारित की हो" अतः अभियुक्त हरलाल को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 व 193 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

13. फलतः अभियुक्त हरलाल सिंह पुत्र मोहनलाल, उम्र 57 साल, निवासी खासोली, पुलिस थाना सदर, चूरू, हाल सैनिक बस्ती चूरू, पुलिस थाना कोतवाली,

जिला चूरू को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 व 193 भारतीय दंड संहिता में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्त को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होने बाबत अभियुक्तगण धारा 437(ए) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत छः माह की अवधि के लिये 10,000/– रूपये की जमानत एवं इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका इस न्यायालय में पेश करे। आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश होने पर अभियुक्त द्वारा अपनी नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाए।

(नवदीप)आर.जे.एस.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरदारशहर, जिला–चूरू।

15. निर्णय एवं दण्डादेश आज दिनांक 10.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवदीप)आर.जे.एस.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरदारशहर, जिला–चूरू।